

टेम्पल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत) द्वारा दिल्ली में लेन ड्राइविंग के प्रति जागरूकता अभियान जल्द होगा शुरू : पिकी कुंड़, सह-संपादक परिवहन विशेष


जनता को जागरूक करने हेतु दिल्ली के सभी क्षेत्रों से स्वयंसेवक/ कार्यकर्ताओं को जुड़ने की अपील जारी
भारत में सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना नहीं, बल्कि लेन अनुशासनहीनता सबसे बड़ी समस्या है

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एंड लेबर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय कुमार बाटला पिछले कई सालों से यह बात कहते आ रहे की दिल्ली की सड़कों पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना नहीं, बल्कि लेन अनुशासनहीनता सबसे बड़ी समस्या है।

पीछे कुछ समय पूर्व केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी यह बताया की लेन अनुशासनहीनता के कारण भारत में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लेन अनुशासनहीनता के चिंताजनक मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित किया और इसे भारत में सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण बताया है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान बोलते हुए गडकरी ने एक व्यक्तिगत उदाहरण साझा करते हुए बताया कि मुंबई में ट्रैफिक उल्लंघन के लिए उनकी खुद की कार पर भी दो बार जुर्माना लगाया गया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि ओवरस्पीडिंग अक्सर सुर्खियां बटोरती है। लेकिन लेन अनुशासन का पालन ना करना भारतीय सड़कों पर एक बहुत गंभीर मुद्दा है। अगर अनुशासित तरीके से ड्राइविंग की जाए तो तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना भी खतरनाक नहीं है। जैसा कि कई विकसित देशों में देखा गया है तेज कारें सुरक्षित तरीके से चलती हैं पर लेन के इस्तेमाल जैसे बुनियादी ट्रैफिक मानदंडों की अनदेखी दुर्घटनाओं के जोखिम को बढ़ाती है। गडकरी ने बताया, “यह रफ्तार नहीं बल्कि अनुशासनहीन ड्राइविंग के कारण होने वाली अराजकता है जो हमारी



सड़कों को खतरनाक बनाती है।” भारतीय नागरिकों, खासकर युवा पीढ़ी को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के महत्व के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता पर जोर देना सबसे अधिक आवश्यक है। उन्होंने सुझाव दिया कि कम उम्र से ही सड़क अनुशासन को बढ़ावा देने से देश की ड्राइविंग संस्कृति में काफी सुधार हो सकता है। उन्होंने कहा, रलंबे समय तक व्यवहार में बदलाव लाने के लिए बच्चों को भी ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने उल्लंघनों की निगरानी और दंड लगाने के लिए सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। गडकरी ने सांसदों से भी अपने निर्वाचन क्षेत्रों में

सुरक्षित ड्राइविंग प्रथाओं की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उदाहरण पेश करने और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का आह्वान किया। गडकरी की टिप्पणियों में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में सांसदों की सामूहिक जिम्मेदारी पर रोशनी डाली। उन्होंने सदन के सदस्यों से लोगों को ट्रैफिक नियमों और लेन अनुशासन के जीवन-रक्षक महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए अपने समुदायों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने का आग्रह किया।

लेन अनुशासनहीनता: भारत में दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण लेन अनुशासनहीनता ही है। भारत के खतरनाक सड़क दुर्घटना आंकड़ों में



पिकी कुंड़, सह-संपादक परिवहन विशेष

प्राथमिक योगदानकर्ताओं में से एक है। रॉन्ग साइड ड्राइविंग और बिना इंडिकेटर के लेन बदलने जैसी प्रथाएं न सिर्फ नियम तोड़ने वालों को खतरे में डालती हैं बल्कि अन्य सड़क यूजर्स की सुरक्षा को भी खतरे में डालती हैं। यह व्यवहार अनावश्यक अराजकता, देरी और, दुखद रूप से, रोके जा सकने वाली मौतों का कारण बनते हैं।

टेम्पल्स आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत) अब ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एंड लेबर वेलफेयर एसोसिएशन के साथ मिलकर दिल्ली में लेन ड्राइविंग के अनुशासन के प्रति जागरूकता अभियान शुरू करेगा।

अनाधिकृत/ गैरकानूनी वाहनों से सार्वजनिक सवारी सेवा कितनी सुरक्षित और कौन जिम्मेदार ?

पिकी कुंड़, सह-संपादक

नई दिल्ली। दिल्ली में रहने वाले सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं की दिल्ली की पूर्व में रही आम आदमी पार्टी सरकार और तत्काल की भाजपा सरकार दिल्ली की जनता को सार्वजनिक सवारी सेवा उपलब्ध कराने और करवाने में पूरी तरह नाकाम रही और है।

दिल्ली में सार्वजनिक सवारी सेवा उपलब्ध कराने का पहला दायित्व दिल्ली परिवहन निगम का बनता है पर पिछले 14 सालों में दिल्ली सरकार ने उन्हें एक भी वाहन ना तो खरीदने दिया और ना ही खरीद कर दिया।

भारत देश के सभी नागरिक इस बात को भली भांति जानते हैं की किसी भी वाहन की अधिकतम आयु 15 वर्ष घोषित है और उसके बाद उसे स्क्रेप करना खास तौर से दिल्ली में आवश्यक है अर्थात दिल्ली सरकार ने जान बूझकर दिल्ली की जनता को अनाधिकृत/ गैर कानूनी तरीके से चलने वाले सवारी वाहनों पर सफर करने को और धकेल दिया और इसी लिए उन पर कोई कार्यवाही भी प्रवर्तन शाखाओं (दिल्ली परिवहन विभाग और दिल्ली यातायात पुलिस) द्वारा नहीं होने देते।

दिल्ली में बढ़ते हुए महिलाओं से वाहनों में छेड़खानी, लूटपाट के मामलों का मुख्य कारण भी यही वाहन है पर सरकार को इससे क्या ?

1. आज की तारीख में आप दिल्ली के किसी भी क्षेत्र में चले जाए आपको वहां बाहरी निजी नंबरों के वाहन सवारी बिठाते और उतारते साफ

नजर आ जाएंगे पर दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, दिल्ली परिवहन विभाग और दिल्ली यातायात पुलिस को वहां उपस्थित रहते हुए भी नजर नहीं आते।

2. आज की तारीख में दिल्ली में “बिना पंजीकरण” के वाहन भी सड़कों पर खूले तौर पर सवारियों को बैठाते और उतारते आप को सभी जगह नजर आ जाएंगे पर दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, दिल्ली परिवहन विभाग और दिल्ली यातायात पुलिस को वहां उपस्थित रहते हुए भी नजर नहीं आते।

आप की जानकारी हेतु बता दें मोटर वाहन नियम के अनुसार भी बिना पंजीकरण का वाहन व्यवसायिक गतिविधि में खास तौर से सवारी सेवा कार्य को नहीं कर सकता और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित है की कोई भी वाहन बिना पंजीकरण के दिल्ली की सड़कों पर सवारी सेवा में चलता नहीं पाया जाना चाहिए पर दिल्ली की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सड़कों पर 24 घंटे आप बिना पंजीकरण के वाहनों को व्यवसायिक गतिविधि में शामिल देख सकते हैं।

अब आप ही बताएं जो गैर कानूनी कार्य करता हुआ सब को दिख रहा है वह दिल्ली सरकार, दिल्ली परिवहन विभाग, दिल्ली यातायात पुलिस और दिल्ली पुलिस को क्यों नजर नहीं आते जिनके कारण जनता को असुरक्षित महसूस हो रहा है।

आपकी जानकारी हेतु कुछ बिना नंबर के सड़कों पर चल रहे ई रिक्शा के फोटो सलगम



TRUCK CANTER PICKUP CAR TWO WHEELER

INSURANCE SERVICES

BY

MANNU ARORA

GENERAL SECRETARY RTOWA

Direct Code Hassel Free And Cash Less Services

Very Fast Claim Process Any Time Any Where

Maximum Discount

Office:-CW 254 Sanjay Gandhi Transport Nagar Delhi-110042

Contact 9910436369, 9211563378

टेम्पल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in

Email : tolwadelhi@gmail.com

bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020) , एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063

कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मैन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ बड़ौदा दिल्ली 110042

Happy Birthday

Manjeet Kaur

'ॐ' लगाने से बढ़ जाती है मंत्र की शक्ति, जानिए महत्व और उच्चारण के नियम



अनन्या मिश्रा

आज हम आपको 'ॐ' के महत्व के बारे में बताने जा रहे हैं। 'ॐ' शब्द तीन अक्षर अ, उ और म से मिलकर बना है। यह तीन अक्षर त्रिदेव यानी की ब्रह्मा, विष्णु और महेश को दर्शाते हैं। इसके अलावा यह तीन अक्षर रजो गुण, सतो गुण और तमो गुण का भी प्रतिनिधित्व करते हैं।

जब भी पूजा-पाठ के समय किसी भी मंत्र का जाप किया जाता है, तो इसकी शुरुआत 'ॐ' से की जाती है। योग और ध्यान की विधि में भी 'ॐ' का उच्चारण किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह एक शब्द क्या है। इसका इतना महत्व क्यों है और मंत्र की शुरुआत में 'ॐ' लगाने से क्या लाभ मिलता है। अगर आपके मन में इसी तरह के सवाल हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको 'ॐ' के महत्व के बारे में बताने जा रहे हैं। 'ॐ' शब्द तीन अक्षर अ, उ और म से मिलकर बना है। यह तीन अक्षर त्रिदेव यानी की ब्रह्मा, विष्णु और महेश को दर्शाते हैं। इसके अलावा यह

तीन अक्षर रजो गुण, सतो गुण और तमो गुण का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। अ, उ और म यह तीन अक्षर सत, चित और आनंद है। साथ ही यह ब्रह्मांड की सबसे पहली ध्वनि और सृष्टि के उद्भव का प्रतीक होता है। इसका जाप करने से निगेटिव एनर्जी दूर होती है और हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध व सिख धर्म में भी इसके महत्व को स्वीकार किया गया है।

किसी भी मंत्र के आगे 'ॐ' जुड़ने से मंत्र शक्तिशाली और शुद्ध हो जाता है। इसको बीच मंत्र भी कहा जाता है। साथ ही यह मंत्र जाप करने के समय किसी भी त्रुटि या दोष को दूर करने में सहायता करता है। इसके साथ ही यह एकग्रता और ध्यान को बढ़ाने में भी मदद करता है। 'ॐ' का उच्चारण करने से मानसिक तनाव में कमी आती है।

कहाँ करना चाहिए उच्चारण शांत वातावरण में ध्यान मुद्रा में बैठकर 'ॐ' का जाप करना सही माना जाता है। इससे मानसिक शांति मिलती है और व्यक्ति का ध्यान भी केंद्रित होता है। इस दौरान गहरी सांस लें और धीरे-धीरे

सांस छोड़ते हुए ओ से ऊ तक जोर लगाएं। फिर म का उच्चारण करने में ध्वनि धीमी और शांत होती जाएगी। सांसों और आवाज का उतार-चढ़ाव ही मन, आत्मा और बुद्धि को शांति देता है। वेदों की ऋचाएँ और श्रुतियाँ भी इसके बिना अधूरी मानी जाती हैं। किसी भी मंत्र से पहले 'ॐ' लगा देने से उसके फलित होने की शक्ति कई गुना तक बढ़ जाती है।

उच्चारण के लिए सही समय बता दें कि 'ॐ' का उच्चारण करने के लिए सही समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ आप जल्दी जुड़ जाते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो सूर्योदय से पहले उठकर इसका उच्चारण करें। आप इसको दिन के किसी भी समय कर सकते हैं।

हालांकि दिन निकलने के साथ शोरगुल और मन में कई तरह की चिंताएँ और तनाव हो सकता है। ऐसे में आप इस दौरान गहरे ध्यान में नहीं उतर सकें। रात में शांति होने के बाद भी आप 'ॐ' का उच्चारण कर सकते हैं।

पूजा में अवश्य ही होनी चाहिए ये सामग्री

घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए सभी लोग घर में पूजा स्थान बनाते हैं जिसे पूजा घर कहा जाता है। पूजा घर में सही विधि से पूजा करने के लिए कई वस्तुएं अत्यंत आवश्यक होती हैं।

पूजा से संबंधित नियम

1. आचमनी - छोटे से ताम्बे के लोटे में जल भरकर उसमें तुलसी डालकर हमेशा पूजा स्थल पर रखा जाता है। यह जल आचमन का जल कहलाता है। इस जल को तीन बार ग्रहण किया जाता है। इससे पूजा का दोगुना फल मिलता है।
2. पंचामृत - दूध, दही, शहद, घी व शुद्ध जल के मिश्रण को पंचामृत कहते हैं। कुछ विद्वान दूध, दही, मधु, घी और गन्ने के रस से बने द्रव्य को पंचामृत कहते हैं। इस सम्मिश्रण में रोग निवारण के गुण होते हैं।
3. चन्दन - चंदन शीतलता का प्रतीक है। इसकी सुगंध से मन के नकारात्मक विचार खत्म होते हैं। चंदन को मूर्तियों के सिंगार में उपयोग किया जाता है।
4. अक्षत - चावल को अक्षत भी कहा जाता है। भगवान को अक्षत अर्पित करने का अर्थ है कि हम अपने वैभव का उपयोग अपने लिए नहीं, बल्कि मानव की सेवा के लिए करेंगे।
5. फूल - देवी या देवता की मूर्तियों के सामने फूल अर्पित किए जाते हैं। यह



है। माथे पर चंदन लगाने से दिमागी शांति बनी रहती है।

सुंदरता का अहसास जगाने के लिए है। इसका अर्थ है कि हम भीतर और बाहर से सुंदर बनें।

6. प्रसाद - प्रसाद में मिठास यानि मधुरता होती है। फल, मेवे और मिठाई के रूप में पंचामृत के साथ नैवेद्य चढ़ाया जाता है। माना जाता है कि इससे घर में लक्ष्मी बनी रहती है।

7. रोली - कुमकुम या रोली हल्दी

सुंदरता का अहसास जगाने के लिए है। इसका अर्थ है कि हम भीतर और बाहर से सुंदर बनें।

8. प्रसाद - प्रसाद में मिठास यानि मधुरता होती है। फल, मेवे और मिठाई के रूप में पंचामृत के साथ नैवेद्य चढ़ाया जाता है। माना जाता है कि इससे घर में लक्ष्मी बनी रहती है।

9. रोली - कुमकुम या रोली हल्दी

यूनेस्को में हिन्दुत्व की धमक : छत्रपति शिवाजी महाराज के किले अब विश्व धरोहर स्थल घोषित



छत्रपति शिवाजी महाराज के 12 किलों को यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल किया है। इसे लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है।

वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किलों की लिस्ट

- * सालहेर किला
- * शिवनेरी किला
- * लोहगढ़ किला
- * खंडेरी किला
- * रायगढ़ किला
- * राजगढ़ किला
- * प्रतापगढ़ किला
- * सुवर्णदुर्ग
- * पन्हाला किला
- * विजयदुर्ग
- * सिंधुदुर्ग
- * जिंजी किला (तमीलनाडु)

पिछले तीन महीनों में यह दूसरा मौका है जब यूनेस्को की किसी लिस्ट में भारत का नाम शामिल हुआ है। 18 अप्रैल को श्रीमद् भगवत गीता और भक्त मुनि के

नाट्यशास्त्र को UNESCO ने अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया था।

26 जुलाई, 2024 को नई दिल्ली में आयोजित यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 46वाँ बैठक में असम के चराइदेव जिले में स्थित अहोम राजवंश के मोइदमों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह पूर्वोत्तर भारत से इस सूची में शामिल होने वाली पहली सांस्कृतिक संपत्ति है।

यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर एक अंतरराष्ट्रीय पहल है, जिसे यूनेस्को (UNESCO) ने 1992 में शुरू किया था। इसका उद्देश्य विश्व के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को पहचान देना, उसे संरक्षित करना और लोगों को पहुँच में लाना है।

यह एक अंतरराष्ट्रीय रजिस्टर है जिसमें विश्वभर के ऐतिहासिक दस्तावेज, पांडुलिपियाँ, दुर्लभ पुस्तकें, चित्र, फिल्में, ऑडियो रिकॉर्डिंग, आदि को शामिल किया जाता है, जिनका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या सामाजिक महत्व होता है। तीन भारतीय साहित्यिक कृतियों रामचरितमानस, पंचतंत्र, और सहृदय लोक-लोकन को 'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड' कैटेगरी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक रीजन

(MOWCAP) रजिस्टर में शामिल किया गया था। यह पहली बार है कि एक ही बार में भारत के तीन कृतियों को एक-साथ शामिल किया गया हो।

'रामचरितमानस' गोस्वामी तुलसीदास ने 16वीं शताब्दी में अवधी भाषा में लिखी थी और इसे भारतीय साहित्य और हिन्दू धर्म की सर्वोत्तम कृतियों में से एक माना जाता है। वहीं पंडित विष्णु शर्मा की पंचतंत्र कहानियों का संकलन है।

पेरिस में यूनेस्को की 47वाँ बैठक में इस लिस्ट का ऐलान किया गया। इससे मराठा इतिहास और विरासत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। अब भारत की कुल 44 धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हो गई हैं।

छत्रपति शिवाजी महाराज के ऐतिहासिक 12 किलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह भारत और विशेष रूप से महाराष्ट्र के लिए एक ऐतिहासिक और गौरवशाली क्षण है। इसकी घोषणा होने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने मराठी भाषा में ट्वीट करते हुए प्रसन्नता जताई है और कहा कि इससे समृद्ध मराठा इतिहास के बारे में विश्वभर में प्रसार होगा। इस उपलब्धि से महाराष्ट्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।


मिश्रित सामग्री वाले तिलक

वैष्णव व सनातन परंपरा में मिश्रित सामग्री से बनाए गए, तिलकों का विशेष स्थान होता है। ये तिलक केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक, मानसिक, और शरीर पर सूक्ष्म प्रभाव डालने वाले माने जाते हैं। मिश्रित सामग्री का अर्थ है कि, तिलक लगाने हेतु दो या दो से अधिक पवित्र द्रव्यों या औषधीय पदार्थों का संयोग किया गया हो।

1- मिश्रित सामग्री वाले तिलकों के प्रमुख प्रकार -----

तिलक का नाम/ उपयोग की गई सामग्री/ प्रमुख परंपरा तिलक का आकार/ लाभ व उद्देश्य -----

- (1) गोपीचंदन + तुलसी तिलक/ गोपीचंदन, तुलसी रस या तुलसी पत्र चूर्ण/ वैष्णव (मधु, गोडीय) ऊर्ध्वपुंड्र/ पवित्रता, भक्ति, वात-पित्त शमन।
- (2) भस्म + चंदन तिलक/ विभूति (त्रिपुंड्र) + चंदन/ दत्तात्रेय, शैव-वैष्णव संयुक्त/ त्रिपुंड्र या ऊर्ध्वपुंड्र/ शिव-नारायण संयुक्त भाव, मन-शीतलता।
- (3) गाय के गोबर की राख + गोमूत्र + चंदन/ पंचगव्य में से तीन तत्व/ ग्रामीण सनातनी/ ऊर्ध्वपुंड्र या गोल बिंदी/ रोगनाशक, शुद्धिकारक, कर्मपवित्रता।
- (4) लाल चंदन + केसर तिलक/ रक्त चंदन, केसर/ शक्ति उपासना, लक्ष्मी पूजन/ गोल या त्रिकोण बिंदी/ आकर्षण, तेज, यश, उन्नति।
- (5) हल्दी + चूना (शुभ तिलक)/ हल्दी, चूना (गेरुआ/सिंदूर रंग) / ग्रामीण वैष्णव या रामानुजीय/ ऊर्ध्वपुंड्र/ उग्र दोष शमन, रोगनाशक, वज्र-भावना।



- (6) श्वेत चंदन + कस्तूरी या केसर/ शीतल चंदन + सुगंधित तैला/ श्रीसम्प्रदाय या कुलदेवी उपासना/ ऊर्ध्वपुंड्र या गोल/ मानसिक शांति, आकर्षण, ध्यान शक्ति।
- (7) अष्टगंध मिश्रण तिलक/ चंदन, कपूर, अगर, गंधक आदि 8 द्रव्य/ पूजाविधि में विशिष्ट तिलक गोल या त्रिकोण या रेखा/ सत्तथातु शुद्धि, ध्यानयोग, शक्ति-वृद्धि।
- (8) मिट्टी + चंदन तिलक/ नदी/तीर्थ की मिट्टी + चंदन/ भक्ति मार्गी परंपरा रेखीय या गोल/ तीर्थ-स्पर्श का प्रभाव, स्थिरता।

- (3) आभामंडल की रक्षा - तिलक शरीर के सूक्ष्म केंद्रों (चक्रों) को संतुलित करता है।
- (4) धार्मिक व आत्मिक शक्ति का संचार - हर मिश्रण के पीछे विशेष देवता व तत्त्व की शक्ति होती है।
- (5) शुभ व आत्मविश्वास का संचार - विशेषकर केसर, लाल चंदन और कस्तूरी जैसे तिलक।
- 3- विशेष ध्यान योग्य बातें -----
- (1) तिलक लगाने से पहले, हाथ व माथा स्वच्छ होना चाहिए।
- (2) तिलक में प्रयुक्त द्रव्य शुद्ध, सात्विक और औषधीय गुणों वाले हों।
- (3) तिलक लगाते समय मन्त्र (जैसे र ऊर्ध्वपुंड्र धारयामि विष्णोर्ग्राणय नमः र) बोलना चाहिए।
- (4) भिन्न अवसरों (पूजन, यात्रा, यज्ञ, उपवास, युद्ध) के अनुसार तिलक मिश्रण बदल सकते हैं।

गिरकर उठने वाले, कभी न गिरने वालों से बहुत शक्तिशाली होते हैं। होश रहे कि सार्थक और प्रभावी उपदेश वह होता है जो वाणी से नहीं, अपितु अपने आचरण से प्रस्तुत/प्रदर्शित होता है।

पद रहे, प्रतिष्ठा न रहे, तो धृतराष्ट्र बनते हैं। प्रतिष्ठा रहे, पद न मिले, तो कर्ण बनते हैं। दूसरे हमें कैसे देखते हैं? यह महत्वपूर्ण नहीं है, हम खुद को कैसे देखते हैं, यह सब से ज्यादा मायने रखता है। ध्यान रहे कि हर संघर्ष एक नई दिशा का संकेत देता है। हर संघर्ष में एक नई दिशा छिपी होती है जो हमें हमारी असली ताकत और क्षमता को पहचानने में मदद करती है। हमें हमेशा अपनी शांति/होश को महत्व देना होगा। अपनी बात को साबित करने की कोशिश करने से ज्यादा जरूरी है, हमारी शांति। और उन लोगों को समझना बंद करना होगा जिन्होंने हमें गलत समझने का मन बना लिया है।

सहज क्रियाएँ जिसे आप दिनचर्या में शामिल कर अनेकोनेक रोगों से बच सकते हैं

योग अपनावे सुंदर जीवन पाये स्वस्थ भारत सबल भारत आप अपने दैनिक जीवन में निम्न दिनचर्या का पालन अवश्य करें

- 1 सर्वप्रथम प्रातः उठते ही बिस्तर पर ही भरपूर अंगड़ाई लेवे इससे शरीर की सुस्ती और मांसपेशियों को अकड़न दूर होती है
- 2 बिस्तर छोड़ने के पूर्व बैठकर अपने प्रभु गुरु और मातापिता को स्मरण अवश्य कर नमन करें
- 3 बिस्तर में ही कुछ मिनट आप पद्मासन में बैठकर आपकी इंद्रियों को सिर के ठीक पीछे रोड़ की हड्डी के जोड़ स्थान पर केंद्रित करें और शांतिपूर्ण उसका ध्यान करें
- 4 बिस्तर छोड़ने के बाद आप 2 गिलास गर्म पानी ('चाय दूध जैसा गर्म) घूँट घूँट कर पिये चाहे तो आप निम्बू तुलसी शहद मिला पानी भी ले सकते हैं पर पानी लेने के कम से कम आधा घंटा तक कुछ भी ना पीवे खावे
- 5 कुछ देर (10 मिनट से आधा घंटा) व्यायाम अवश्य करें और पैदल (1 से 3 किमी) अवश्य चले साथ ही कुछ देर धूप में अवश्य बैठें
- 6 लौकी का जूस 1 कप तक अवश्य लेवे जिससे

5-6 कालीमिर्च, 5-6 तुलसी पत्ते 5-6 पोदीने पत्ते डाले और कुछ संधा नमक भी डाल सकते हैं। जूस के 1घंटा पूर्व व बाद कुछ भी सेवन ना करें।

7 दिन का भोजन आप गरिष्ठ कर सकते हैं किंतु रात्रि में हल्का भोजन ले और वो भी शाम 7 के पूर्व ही ले

8 दूध अवश्य लेवे गर्म दूध में हल्दी (प्रथम वरीयता) या दालचीनी अदरक इलायची इत्यादि डाल सकते हैं। गर्म दूध रात्रि सोने के पूर्व लेना ज्यादा लाभदायक होता है।

9 फ्रिज की कोई वस्तु या फ्रिज का पानी कोल्डड्रिंक इत्यादि का सेवन न करें

10 अपने भोजन में फल और सलाद को भी अवश्य शामिल करें

11 रात्रि सोने के पूर्व ईश्वर का स्मरण कर उसे धन्यवाद देवे और अपने दिनभर के कर्म उसे अर्पण करें

12 सोते समय सिर दक्षिण या पूर्व दिशा में ही रखें तथा ज्यादा नर्म बिस्तर का उपयोग ना करें। आपके जीवन में यदि ये नियम दैनिक रूप से अपना लेवे तो आप काफी बीमारियों और शारीरिक समस्याओं से बच सकते हैं।



मन और माया का खेल

विषयों की इच्छा, उसका भोग करने की इच्छा, उसको ग्रहण करने की इच्छा जिस पर हम आकर्षित हो जाते हैं, यह इच्छा जहाँ उत्पन्न होती है जिसको होती है वह मन है,, लेकिन इच्छा उत्पन्न हो क्यों रही है, इसका कारण है उसका भ्रम,, मन अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जहाँ प्रयत्न करती है जहाँ-जहाँ उनकी आसक्ति हो जाती है ! जहाँ से वह अपने अंदर ग्रहण करती है ! वह सब माया है ! स्वयं को सुखी करने के लिए जहाँ भटकती रहती है ! जहाँ विचरण करती है वह माया है ! जो आपको भ्रमित कर रही है आकर्षित कर रही है वह माया है और जो आकर्षित हो रहा है वह मन है !,, जैसे सामने अप्सरा

खड़ी है,, वह कौन है ? माया जो तुम्हें भ्रमित करने के लिए भेजी गई है लेकिन फंसना नहीं है जो आकर्षित होकर फंस जाता है वह मन है जो उस पर आकर्षित हो रहा वह मन है ! माया का स्वरूप सबके लिए एक समान है लेकिन किसका मन उसमें आकर्षित होगा और किसका नहीं यह उस स्वयं पर निर्भर करता है ! अगर आत्मज्ञान, तत्त्वज्ञान उनका मजबूत है तो वह इस माया को भी परास्त कर सकता है ! और बड़े-बड़े ऋषि मुनियों ने किया है ! माया को देखते ही झट से समझ गए कि हमें फंसाया जा रहा है फंसना नहीं है तो वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए ! माया की चाल बाजी को जो नहीं समझ पाए वह मन है !,, जैसे सामने अप्सरा

आकर्षित होती है, वह उसके मन पर निर्भर करता है ! माया का काम है जीव को भ्रमित करना,, उसको आकर्षित करना और अपने जाल में उसको फंसाना,, लेकिन मन अपनी अज्ञानता वश उसमें फिसल जाता है ! यह नहीं देख पाता कि यह स्थिति नहीं है, हमें उगी जा रही है ! उस प्रचंड आकर्षण के वेग के प्रबल होने के कारण जीव स्वयं को भूल जाती है नहीं जान पाती मैं कौन हूँ ? यह भूलकर संसार में भ्रमित हो जाती है ! हम स्वयं आत्म स्वरूप हैं ना हमारा कोई बंधन है ना हमें किसी सुख की आवश्यकता है हम स्वयं आनंद स्वरूप हैं उसको नहीं जान पाती ! और उसमें लटक जाती है !

दिल्ली टैक्सी एन्ड टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट्स एसोसिएशन ने कमिसन फॉर एयर क्वालिटी मनेजमेंट की तानाशाही के खिलाफ दिल्ली के पर्यटन मंत्री श्री कपिल मिश्रा से मिलकर दिल्ली का पर्यटन उद्योग और दिल्ली एनसीआर के टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट्स को बचाने के लिए अपनी मांगों का ज्ञापन दिया

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली टैक्सी एन्ड टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने कमिसन फॉर एयर क्वालिटी मनेजमेंट की तानाशाही के खिलाफ दिल्ली के पर्यटन मंत्री श्री कपिल मिश्रा से मिलकर दिल्ली का पर्यटन उद्योग और दिल्ली एनसीआर के टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट्स को बचाने के लिए अपनी मांगों का ज्ञापन दिया।

ट्रांसपोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने पर्यटन मंत्री को शिकायत करी की, कायमि ड्राए एयर क्वालिटी मनेजमेंट (CAQM) द्वारा 1.11.2026 से दिल्ली के अंदर BS 4 डीजल (AITP) बसों की एंटी रोकेने के आदेश 3 जून 2025 को जारी कर दिया।

संजय सम्राट ने पर्यटन मंत्री श्री कपिल मिश्रा जी से शिकायत करी और बोला की कमिसन फॉर एयर क्वालिटी मनेजमेंट (CAQM) भारत के टूरिस्ट टैक्सी -बसों के मालिकों का आर्थिक और मानसिक शोषण काफी समय से कर रहा है। कभी प्रदूषण के नाम पर ग्रेप लगाकर हमारी टूरिस्ट टैक्सी और टैम्पो ड्रेवलर (मिनी बसें) बंद करके और 20 हजार रुपए जुमाना करके। इस बार सीधा ही डीजल BS 4 बसों को हमेशा के लिए बंद करने की साजिश करी है। संजय सम्राट ने शिकायत में कहा की इसकी भी संभवना की बस बनाने वाली कम्पनियों को बड़ा फायदा देने की कोशिश भी CAQM कर रहा है, क्योंकि जब पुरानी

बसें बंद होंगी तभी ट्रांसपोर्ट्स मजबूरी में नई बसें खरीदेंगे।

संजय सम्राट का कहना है की हमारी डीजल BS 4 बसें 2020 मार्च तक दिल्ली के पडोसी राज्यों में पंजीकृत हुई थीं क्योंकि पिछले 10 वर्षों से अधिक दिल्ली में कोई भी डीजल बसें और टैम्पो ड्रेवलर दिल्ली में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे थे। हमारे दिल्ली के ट्रांसपोर्ट्स ने पडोसी राज्यों में डीजल BS 4 बसें रजिस्ट्रेशन कराई थीं। 2020-2022 में कोरोना महामारी ने विकराल रूप ले लिया। हमारे कुछ मेंबर्स की डेथ भी हुई। इन 3 सालों में पर्यटन उद्योग पूरी तरह बंद हो गया। हमारी ज्यादातर बसें 3 सालों तक पार्किंग में खड़ी रही। बसों की किस्तें ना देने के कारण हमारी बसों को बैंक वाले और प्राइवेट फाइनेंसर पार्किंग से उठा कर ले गए, कुछ लोगों ने प्राइवेट फाइनेंसर से कर्जा लेकर और घर के सोने जेवरात बेचकर अपनी बसों की किस्तें चुकाईं। सरकार या और किसी भी देश की संस्था ने किसी तरह का कोई सहयोग बस मालिकों के लिए नहीं करा।

संजय सम्राट का कहना है इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने डीजल बसें सन 2000 में



बंद कर दी थी लेकिन डीजल BS 2 सीरिज जो की प्रदूषण रहित गाड़ियाँ हैं दोबारा से सन 2001 में दिल्ली में ही गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन शुरू करा। ये डीजल BS 2 की सीरिज की गाड़ी अब BS 6 डीजल तक आ गई है। सुप्रीम कोर्ट और NGT ने दिल्ली एनसीआर में डीजल गाड़ियों की पहले से ही उम्र 10 साल तय करी और पेट्रोल गाड़ियों की 15 साल उम्र तय की। हम उसका भी पालन कर रहे हैं। जब हमारी डीजल गाड़ियों को 10 साल उम्र दी गई है फिर CAQM हमारी डीजल BS 4 बसों को 6 साल में बसों बंद कर रहा है? ट्रांसपोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने न मंत्री को बताया की

ये डीजल बसें हमारे ट्रांसपोर्ट्स में बड़ी खून पसोने की कमाई से खरीदी है, इनसे ही परिवार की रोजी रोटी चलती है।

एक ट्रांसपोर्ट्स की वजह से ड्राइवर, क्लीनर, हेल्पर, मकेनिक, स्पेयर पार्ट्स, डेंटर, पेंटर, और ना जाने कितने परिवार की रोजी रोटी चलती है।

ट्रांसपोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने पर्यटन मंत्री से मांग करी है की हमारी BS 4 डीजल बसों की जितनी उम्र रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में है उतनी उनको चलती रहने दी जाए और इस आदेश पर पुनर्विचार करके इस आदेश को निरस्त करवाया जाए।

और वास्तव में प्रदूषण करने वाले हवाई जहाज की उम्र चक करके उनका प्रदूषण चेक कराया जाए और दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए कुत्रिम बारिश या अन्य उपाय किये जाय।

दिल्ली के पर्यटन मंत्री श्री कपिल मिश्रा जी, ने खुद कहा की हम दिल्ली में पर्यटन उद्योग को बढ़ाना हैं। इसके लिए वो खुद प्रयास कर रहे हैं।

उन्होंने अस्वासन दिया है की वो खुद CAQM के चेयरमैन से डीजल BS 4 की बसों की जब तक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में उम्र है उतनी उनको चलाने के लिए पत्र भी लिखेंगे और खुद उनसे बात करेंगे। उन्होंने कहा की मैं दिल्ली के ट्रांसपोर्ट्स के साथ खड़ा हूँ और दिल्ली के टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट्स बचेगे तभी दिल्ली में पर्यटन उद्योग बचेगा।

नंगली डेयरी के झुग्गीवासियों से मिलीं 'आप' नेता आतिशी, हर आंख में डर और दिल में बेबसी दिखी

मुख्य संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली के मटियाला विधानसभास्थित नंगली डेयरी की झुग्गीयों में रहने वाले लोग अपने घर पर बीजेपी सरकार का बुलडोजर चलने की डर के साए में जी रहे हैं। मंगलवार को आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने अपने आशियाने को छीनने की डर के साए में जी रहे इन गरीबों से मुलाकात की और पार्टी की तरफ से उनके घरों को बचाने की लड़ाई सड़क से लेकर सदन और कोर्ट तक लड़ने का भरोसा दिया। इस दौरान वहां के निवासियों ने अपने दर्द को साझा किया। उन्होंने कहा कि नंगली डेयरी के लोगों के सिर से छत छीनने पर बीजेपी आमदा है। (जिन घरों को उन्होंने बरसों की मेहनत से बसाया, बीजेपी की सरकार उन पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रही है।

नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि बीजेपी मटियाला विधानसभा के नंगली डेयरी में घरों को तोड़ने की तैयारी कर रही है, आज वहां जाकर जब लोगों से मिली तो उनकी आंखों में डर और दिल में बेबसी साफ दिखी। इस दौरान एक बुजुर्ग आम बोली की अपनी जिंदगी भर की पूंजी से जो छोटा सा आशियाना बनाया था, क्या अब उसे अपनी आंखों के सामने टूटते देखना पड़ेगा? दिल्ली में बीजेपी सरकार सिर्फ दीवारें नहीं तोड़ रही, ये गरीबों के सपनों को, उनके



भरोसे और उनके अस्तित्व को कुचल रही है। हम सड़क से लेकर सदन तक इन बेघर किए जा रहे लोगों की आवाज बनेंगे। आम आदमी पार्टी हर हाल में इनके साथ खड़ी है।

आतिशी ने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार बनते ही झुग्गीयों को तोड़ा जा रहा है। भूमिहीन कैंप, मद्रासी कैंप, वजीरपुर में झुग्गीयों को तोड़ने के बाद अब भाजपा की बुरी नजर दिल्ली के मटियाला विधानसभा के नंगली डेयरी में गरीबों के घरों पर है। यहां के घरों को तोड़ने के लिए भाजपा की गरीब विरोधी सरकार ने नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा कि गरीब विरोधी भाजपा सरकार दिल्ली से गरीबों को भगाना चाहती है। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने उनके घरों

को टूटने से बचाने के लिए हर लड़ाई लड़ने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि गरीबों को बेघर होने से बचाने के लिए आम आदमी पार्टी कोर्ट में भी लड़ाई लड़ेगी।

उन्होंने कहा कि मटियाला विधानसभा में लोगों से मिलने गई थीं। वहां जाकर जब लोगों से मिली तो उनकी आंखों में डर और दिल में बेबसी साफ दिखी। हम सरकार में रहे या विपक्ष में, आम आदमी पार्टी के नेताओं के शरीर में जब तक एक-एक सांस बाकी है, हम गरीबों के लिए लड़ते रहेंगे। हम दिल्ली के गरीबों के कलेह भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि भाजपा गरीब विरोधी काम कर रही है। चुनाव से पहले

भाजपा के बड़े-बड़े नेता झुग्गीयों में गए, वहां उन्होंने खाना खाया, बच्चों के साथ कैरम खेले और वादा किया था कि जहां झुग्गी वहां मकान देंगे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद बीजेपी सरकार एक-एक करके झुग्गीयों को तोड़ रही है, गरीबों को बेघर कर रही है। चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं द्वारा किए गए सारे वादे झूठे निकले।


नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही वजीरपुर, मद्रासी कैंप, भूमिहीन कैंप, जेलरवाला बाग में बुलडोजर चलवा दिया, यहां हजारों लोगों को बेघर कर दिया। अब भाजपा सरकार नंगली डेयरी में रह रहे लोगों को बेघर करने की योजना बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान वादा किया था कि जहां झुग्गी वहां मकान बनाकर देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि बीजेपी सरकार ने जहां झुग्गी वहां मैदान बना दिया। आम आदमी पार्टी इन बेघर किए जा रहे लोगों के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगी। हम दिल्ली के गरीबों के लिए कोर्ट में भी लड़ाई लड़ेंगे, हमने एक वरिष्ठ वकील कर लिया है। हम कोर्ट से भी लड़ेंगे ताकि लोगों के घरों को बचाया जा सके। घर टूटने के बाद हम कहां जाएंगे? दिल्ली में बीजेपी सरकार सिर्फ दीवारें नहीं तोड़ रही, ये गरीबों के सपनों को, उनके भरोसे और उनके अस्तित्व को कुचल रही है।

दिल्ली की विधायक पूनम शर्मा भारद्वाज कावड़ यात्रा में होंगी शामिल, महिलाओं के कल्याण और दिल्ली की उन्नति की करेंगी कामना

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली की सबसे कम उम्र की विधायक और वजीरपुर विधानसभा से विधायक पूनम शर्मा भारद्वाज, जो एक धार्मिक स्वभाव की महिला हैं, आगामी 16 जुलाई 2025 को चांदनी चौक के प्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर से कावड़ यात्रा पर रवाना होंगी। यह यात्रा दिल्ली की उन्नति और वजीरपुर विधानसभा के विकास की कामना को समर्पित होगी। पूनम अपनी महिला सहयोगियों और कार्यकर्ताओं के साथ विधि-विधान के साथ इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करेंगी। इस अवसर पर सांसद श्री प्रवीण खंडेलवाल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पूनम भारद्वाज, जो दिल्ली सरकार की महिला व बाल विकास समिति की चेयरमैन भी हैं, ने कहा कि वे इस कावड़ यात्रा के माध्यम से कांवड़ियों को होने वाली दिक्कतों और यात्रा के इंतजामों को स्वयं महसूस करना चाहती हैं। उन्होंने बताया कि उनका परिवार बाबा श्याम का भक्त है और हर वर्ष उनके परिवार के प्रमुख खाटू श्याम तक पैदल कावड़ यात्रा पर जाते हैं। इस बार पूनम के साथ उनके कार्यकर्ता भी इस यात्रा में शामिल होंगे।

यात्रा का समापन 18 जुलाई 2025 को होगा, जब जलाभिषेक की प्रक्रिया भी संपन्न की जाएगी। पूनम ने कहा, रकई महिलाएं अपनी व्यस्तता और विवशता के कारण इच्छा होने के बावजूद कावड़ यात्रा में हिस्सा नहीं ले पातीं। यह कावड़ यात्रा ऐसी सभी महिलाओं को समर्पित है, और मैं उनके कल्याण और उनकी कामनाओं को लेकर यह यात्रा कर रही हूँ। पूनम शर्मा भारद्वाज की यह पहल न केवल उनकी धार्मिक आस्था को दर्शाती है, बल्कि समाज में महिलाओं को प्रेरित करने और उनके लिए एक मिसाल कायम करने का भी प्रयास है।



भाषा विवाद की आंधी के बीच विख्यात मराठी कवि संत तुकाराम की फिल्म हिंदी में रिलीज

मुख्य संवाददाता



नई दिल्ली। अजीब विडंबना है कि इन दिनों जब महाराष्ट्र सहित देश के कई शहरों में भाषा विवाद चरम सीमा पर है तो ऐसे में विश्व विख्यात कवि संत तुकाराम की जीवनी पर फिल्म संत तुकाराम हिंदी में बनाई गई, और फिल्म के यंग निदेशक आदित्य ओम ने अपनी इस बायोपिक फिल्म को महाराष्ट्र के सभी शहरों में यह फिल्म सिर्फ हिंदी में 18 जुलाई को रिलीज होगी।

नई दिल्ली के विग ओडियन मल्टीप्लेक्स में अपनी इस फिल्म को प्रमोट करने आए आदित्य ओम आए, इस खास मौके पर अनेक रंगकर्मी, साहित्यकार, लेखक, और वरिष्ठ पत्रकार, उच्च अधिकारी भी फिल्म की लीड जोड़ी मराठी फिल्मों के सुपर स्टार सुबोध भावे और एक्ट्रेस शोना चौहान, शिवा सूर्यवंशी, शोशर शर्मा, विख्यात रंगकर्मी अरविंद गौड़ आदि भी निदेशक आदित्य की इस फिल्म को प्रमोट करने की मुहिम में शामिल हुए।

इस फिल्म के युवा निदेशक, लेखक आदित्य ओम ने यहां मौजूद मीडिया के सवालों की बौछार के बीच बताया 17 वीं सदी के संत, समाज सुधारक संत तुकाराम पर फिल्म बनाने का जुनून मैंने अपने अंदर बरसों से समा

रखा था, कई वर्षों की शोध और अनेक मराठी लेखकों से मिलने और संत तुकाराम पर बनी पुरानी फिल्मों से प्रेरणा लेकर मैंने इस प्रोजेक्ट पर जब काम पर शुरू किया तो मुझे धमकियां तक मिलीं लेकिन मैंने हार नहीं मानी और जब मराठी फिल्म इंडस्ट्री के सुपर स्टार सुबोध भावे ने इस फिल्म में संत तुकाराम के लीड किरदार निभाने के लिए हामी भर दी तो मेरी एनर्जी कई गुना बढ़ गई।

फिल्म के लीड किरदार सुबोध भावे जो मराठी की 90 से ज्यादा फिल्मों में चुके हैं और इन फिल्मों में से कई फिल्मों बायोपिक है यह सभी फिल्मों बॉक्स

ऑफिस पर सुपर हिट रही, सुबोध भावे ने मीडिया कर्मियों को बताया इस किरदार के लिए मैंने बहुत होम वर्क किया संत तुकाराम जी के जीवन से जुड़े कई ग्रंथ पढ़े इस किरदार को जीवंत करने के लिए मैं संत तुकाराम के अनेकों भक्तों तक से मिला। भावे कहते हैं एक मराठी संत पर बनी यह फिल्म भाषा के नाम पर विवादों को जन्म देने और भाषा पर राजनीति करने वालों के नाम पर तमाचा है, विख्यात मराठी संत पर फिल्म को मराठी की बजाय हिंदी में बनाया जाना साबित करता है कोई भी भाषा हमें टकराव नहीं प्रेम का संदेश बताती है।

सोमवार को दो स्कूलों को और मंगलवार को एक स्कूल व एक कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिली- केजरीवाल

मुख्य संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली में चार इंजन वाली बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था पटरी से पूरी तरह उतर चुकी है। स्कूलों और कॉलेजों को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकियां मिलने से दिल्ली के स्कूल बच्चे और उनके पैरेंट्स डरे हुए हैं। सोमवार को दो स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद मंगलवार को भी दिल्ली के सेंट थॉमस स्कूल और दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज को धमकी मिली है। इन धमकियों को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार के अधीन दिल्ली की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा किया है। रआप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल व नेता प्रतिपक्ष आतिशी समेत अन्य नेताओं ने इस पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि स्कूल-कॉलेज को मिली धमकी से बच्चों में डर है और अभिभावक चिंतित हैं। भाजपा के चारों इंजन फेल हैं।



स्कूल और कॉलेज को धमकी मिली है। बच्चे डरे हुए हैं और अभिभावक बेहद चिंतित हैं। बीजेपी की चार-चार इंजन वाली सरकारें पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं। "आप" की वरिष्ठ नेता और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि दिल्ली में लगातार स्कूलों एवं कॉलेज को बम की धमकियां मिलना बेहद डरावना और चिंताजनक है। बच्चे डरे हुए हैं, माता-पिता परेशान हैं। बीजेपी की चार-चार इंजन वाली सरकारें सुरक्षा तक देने में नाकाम साबित हुई हैं। क्या इनके लिए बच्चों की सुरक्षा की कोई अहमियत नहीं है? कानून व्यवस्था

पूरी तरह चरमरा चुकी है।

उधर, दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने एक्स पर कहा कि देश की राजधानी में अगर स्कूल भी सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर क्या सुरक्षित है? लगातार स्कूलों और कॉलेजों को बम की धमकी मिल रही है, बच्चे डर के साए में जी रहे हैं, पैरेंट्स हर सुबह डर के साथ बच्चों को स्कूल भेजते हैं। 4 इंजन वाली बीजेपी सरकार के होते हुए भी सुरक्षा नदारद - भाजपा के चारों इंजन पूरी तरह फेल है।

आम आदमी पार्टी का कहना है कि सोमवार को भी दिल्ली के दो बड़े स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। पहले चाणक्यपुरी स्थित नेवी स्कूल को धमकी मिली। इसके बाद द्वारका सेक्टर-16 स्थित सीआरपीएफ स्कूल को ईमेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। कुछ महीने पहले भी दिल्ली में लगातार स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। उस दौरान भी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की खस्ताहाल कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग उठाई थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने तब भी गंभीरता से नहीं लिया। अब एक बार फिर स्कूलों को धमकियां मिल रही हैं। आखिर दिल्ली में बीजेपी के चारों इंजन क्या कर रहे हैं कि दिल्ली के बच्चे भी अब सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं।

असम में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई

मुख्य संवाददाता/ सुषमा रानी

नई दिल्ली। ग्वालपारा, जमीअत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी के निर्देश पर आज एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने असम के ग्वालपारा जिले का दौरा किया, जहां हाल ही में असम के आशुइबी और हसीलाबेल क्षेत्रों में असम सरकार द्वारा तोड़फोड़ कार्रवाई के तहत 3973 घरों को ध्वस्त कर दिए गए हैं। इन इलाकों में ज़्यादातर पीड़ित बंगाली मूल के मुसलमान हैं। गौरतलब यह कि जमीअत उलेमा-ए-असम ने विस्थापितों के लिए तत्काल तंबुओं की व्यवस्था की है।

यह प्रतिनिधिमंडल जमीअत उलेमा-ए-हिंद के महासचिव मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन कासमी के नेतृत्व में प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचा, प्रभावितों से मुलाकात की और उनकी स्थिति की समीक्षा की। प्रभावित लोगों की हालत देखकर प्रतिनिधिमंडल को बहुत दुख हुआ और उसने उनकी हर संभव मदद का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में इसके प्रमुख के अलावा, हाफिज बशीर अहमद कासमी, महासचिव, जमीअत उलेमा असम, मौलाना अबुल कादिर कासमी, सहायक महासचिव, जमीअत उलेमा असम, मौलाना महबूब हसन, सहायक महासचिव, जमीअत उलेमा असम, मौलाना फजलुल करीम कासमी, सहायक महासचिव, जमीअत उलेमा असम, मौलाना इज्जत अली, अध्यक्ष, जमीअत उलेमा जिला ग्वालपारा, अबुल हई, महासचिव, जमीअत उलेमा ग्वालपारा, मुफ्ती सादुद्दीन सचिव, मरकज अल-यतामी ग्वालपारा और मौलाना अबुल हाशिम कोकराझार भी शामिल हैं।

प्रतिनिधिमंडल ने जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें तोड़फोड़ कार्रवाई को अमानवीय, अस्वैधानिक और धार्मिक भेदभाव पर



आधारित बताया गया। ज्ञापन में कहा गया है कि यह तोड़फोड़ की कार्रवाइयों केवल उन इलाकों में की गईं, जहां विशेषकर बंगाली मुसलमान बसे हुए थे, जबकि उसी जमीन पर रहने वाले अन्य समुदायों के निवासियों को नहीं छेड़ा गया, जो कि भेदभावपूर्ण रवैया है और धार्मिक आधार पर पक्षपात का खुला उदाहरण है।

ज्ञापन में आगे कहा गया है कि प्रभावित लोग गत 70-80 वर्षों से इन्हीं जमीनों पर रह रहे हैं, जिनमें से अधिकांश संख्या ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ के कारण विस्थापित हुए लोगों की है और वह सभी अधिकारिक रूप से भारतीय नागरिक हैं। उनको बेदखल करना न्याय और मानवीय मूल्यों के विरुद्ध है। कई क्षेत्रों में तोड़फोड़ की कार्रवाई औद्योगिक या निजी स्वार्थों के लिए की गई और प्रभावित लोगों को पूर्व सूचना देना भी जरूरी नहीं समझा गया,

जो कानूनी बाध्यताओं और सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों का खुला उल्लंघन है। ज्ञापन में मांग की गई है कि बेदखली से उत्पन्न होने वाले गंभीर मानवीय संकट से निपटने के लिए तत्काल प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए कदम उठाए जाएं। असम में अभी भी विशेष सरकारी जमीन का एक बड़ा हिस्सा उपलब्ध है। सरकार को चाहिए कि वह इन बेदखल लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था और मुआवजा देने के लिए आगे आए। जब तक स्थायी व्यवस्था न हो जाए, तब तक सरकार अस्थायी रूप से इन प्रभावित लोगों को भोजन और आश्रय प्रदान करना चाहिए। हमें उम्मीद है कि सरकार इस संबंध में आवश्यक कदम उठाएगी। असम जमीअत उलेमा की प्रारंभिक फैक्ट फाईंडिंग रिपोर्ट जमीअत उलेमा असम के अध्यक्ष

मौलाना बदरुद्दीन अजमल और महासचिव हाफिज बशीर अहमद कासमी द्वारा प्रस्तुत की गई प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार ग्वालपारा, धुबरी और नलबारी जिलों सहित विभिन्न क्षेत्रों में कुल 8115 परिवार प्रभावित हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप 32530 से अधिक लोग जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं, बेघर हो चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर 2023 से जुलाई 2025 तक चलने वाली तोड़फोड़ की कार्रवाइयों में 21 मस्जिदों, 44 मकतब और मद्रसों और 9 इंदगाहों को भी ध्वस्त किया जा चुका है। इस स्थिति से निपटने के लिए, जमीअत उलेमा-ए-हिंद द्वारा इन प्रभावित लोगों के लिए आश्रय और भोजन की भी व्यवस्था की है, हालांकि यह व्यवस्थाएं अपर्याप्त हैं। अभी और व्यवस्थाओं की तत्काल आवश्यकता है।

मिट्टी' बता रही खेती में आधुनिकता लाएं : सचिन त्रिपाठी

एम्पकस प्लेयर की वेब सीरीज 'मिट्टी- एक नई पहचान' एक ऐसे समय में आई है, जब भारत का ग्रामीण परिदृश्य कई मोर्चों पर संघर्ष कर रहा है। मौसम, मूल्य, बाजार और मानसिकता के स्तर पर। यह सीरीज न केवल आत्म-खोज और शहर बनाम गांव की बहस को छूती है बल्कि खेती को एक केंद्रीय बिंदु बनाकर मौजूदा पीढ़ी के भीतर उस 'मिट्टी' की पुकार को फिर से जागृत करती है जिसे हमने शहरी सपनों की दौड़ में पीछे छोड़ दिया है।

'मिट्टी' के नायक राघव, जो एक विज्ञापन एजेंसी में ऊंचा ओहदा रखते हैं, जब अपने दादा की मृत्यु के बाद गांव लौटते हैं, तो वो अपने ही बचपन, जमीन, रिशतों और स्मृतियों से दोबारा मिलते हैं। उनके भीतर एक टकराव शुरू होता है। एक ओर कॉर्पोरेट दुनिया की तड़क-भड़क, और दूसरी ओर खेती-किसानी की सहज लेकिन उपेक्षित दुनिया। कहानी यहां से एक रूढ़िवादी बन जाती है ऐसे लाखों युवाओं की जो कृषि पृष्ठभूमि से हैं लेकिन शहरी जीवनशैली ने उन्हें खेत की गंध से दूर कर दिया। 'मिट्टी' उन्हें यह एहसास दिलाती है कि खेती अब केवल बैलों और हल की बात नहीं रह गई बल्कि यह नवाचार, तकनीक और प्रबंधन का केन्द्र बन चुकी है।

खेती अब केवल अनाज उगाने का जरिया नहीं रही, यह आत्मसम्मान और स्वावलंबन की भी कहानी है। जब राघव गांव लौटते हैं तो वह खेती के पुराने तौर-तरीकों को समझते हैं लेकिन साथ ही



उसे नए दृष्टिकोण से देखते हैं। इस टकराव में जो 'नई पहचान' उभरती है, वह सिर्फ एक आदमी की नहीं, बल्कि उस पूरी युवा पीढ़ी की है जो अब खेती को एक 'सम्मानजनक पेशा' मानने लगी है। खेती में वैज्ञानिकता, डेटा एनालिटिक्स, मार्केट स्ट्रेटेजी और ब्रांडिंग जैसे तत्व शामिल हो चुके हैं। 'मिट्टी' यही बात संकेतों में कहती है कि अब किसान केवल हल नहीं चलाता, वह डिजिटल इंडिया का हिस्सा है।

सीरीज का यह पहलू बेहद महत्वपूर्ण है कि गांव अब केवल 'माइग्रेशन का बिंदु' नहीं रह गया है बल्कि यह एक ऐसी योग्यता बन सकता है जहां खेती के जरिए नवाचार और सतत विकास की नींव रखी जा सकती है। राघव जब गांव में बदलाव की कोशिश करता है तो उसे केवल खेत ही नहीं, लोगों की सोच भी बदलनी पड़ती है। यही

भारत का आज का यथार्थ है। खेती तभी बदलेगी जब समाज की मानसिकता बदलेगी और मानसिकता तभी बदलेगी जब पढ़े-लिखे, प्रतिभाशाली युवा खेती को अपनाएंगे ना कि उसे छोड़ेंगे।

'मिट्टी' में परोक्ष रूप से जैविक खेती, स्थानीय ब्रांडिंग, महिला किसानों की भागीदारी और कृषि-उद्यमिता जैसे विषय उठाए गए हैं। यह दिखाता है कि खेती अब एक अकेला काम नहीं बल्कि एक समन्वित सामाजिक-आर्थिक मॉडल है। यह एक उदाहरण के रूप में राघव द्वारा अपने गांव के उत्पादों को बाजार से जोड़ने की कोशिश इस ओर इशारा करती है कि कैसे खेती केवल खेत तक सीमित न रहे बल्कि ब्रांडिंग और वैश्विक बाजार तक पहुंच बना सकती है। यह वर्तमान भारत की सबसे बड़ी जरूरत है 'फार्म टू मार्केट' के बीच की खाई

को भरना। राघव का संघर्ष केवल एक पेशेवर और किसान के बीच का संघर्ष नहीं है, वह एक आधुनिकता और परंपरा के बीच की गहरी लड़ाई है। जब वह खेतों में खड़ा होता है तो उसे अपने दादा की सीख, मिट्टी की खुशबू और रिशतों का भार महसूस होता है लेकिन जब वह गांव के लोगों से बात करता है तो उसे अहसास होता है कि खेती केवल भावना नहीं, प्रबंधन की भी मांग करती है। यह दृढ़ हर्म भी अपने आसपास देखने को मिलता है जहां कई लोग खेती से भावनात्मक रूप से तो जुड़े हैं, लेकिन उसे जीवन यापन का व्यावहारिक विकल्प नहीं मानते।

'मिट्टी' यही दर्शाती है कि भावनात्मक जुड़ाव और पेशेवर दक्षता जब एक साथ आती हैं, तभी खेती एक विकसित भारत की रीढ़ बन सकती है। 'मिट्टी एक नई पहचान' कोई प्रचार सामग्री नहीं है, न ही यह केवल मनोरंजन है। यह एक सांस्कृतिक पुकार है। उन लाखों युवाओं के लिए जो अपने पूर्वजों की जमीन से कट चुके हैं। यह कहानी हमें यह बताती है कि खेती केवल एक काम नहीं, यह जीवन-दर्शन है। और जब एक पढ़ा-लिखा युवा खेती की ओर लौटता है, तो वह केवल खेत नहीं जोता, वह भविष्य को जोता है। आज जब भारत 'विकसित राष्ट्र' बनने की ओर बढ़ रहा है, तब हमें खेती को केवल 'गरीब की मजबूरी' नहीं, 'राष्ट्र की पूंजी' समझने की आवश्यकता है। 'मिट्टी' इसी सोच का अंकुरण है।

बरसात में सड़कों का हाल, बेहाल इशारा काफी है समझ गए ना।



आओ भाई आओ विज्ञान की भांति इसका भी पता लगाएं कि, इन दिनों वैज्ञानिक तकनीकों का "जबरदस्त" तरीके को आधार बनाकर इतनी खूबसूरत सड़क को बनाने के लिए हमारे देश के महान नेताओं, इंजीनियरों, ठेकेदारों ने कितना "श्रम" किया होगा ? कितना "दिमाग" लगाया होगा ? कितना "पैसा" बचाया होगा ? तब जाकर इतनी मजबूती के साथ अच्छी "सड़क" का निर्माण हुआ होगा। आधुनिक तकनीकों के माहौल में सड़क पर चलने वाले हर आम नागरिक, वाहन चलाने वाले कितने "खुश" हो रहे होंगे कि, उन्होंने अपने जीवन में शायद पहली बार इस तरह की सड़क देखी होगी। नेताओं ने इस सड़क के उद्घाटन के लिए, बनवाने के लिए, इंजीनियरों, ठेकेदारों के साथ गठबन्धन करके कितने "पापड़ बले" होंगे। तब जाकर उन्हें यह सुनकर अवसर, मिला है। इस मौके पर नेताजी, इंजीनियर, ठेकेदार भी खुश हो

गए थे। हें भगवान ! क्या करें, कमबख्त इस "बरसात" के मौसम में सड़क के खूबसूरत चेहरे पर बरसते पानी ने इतने इतने "छेद" कर दिए जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। इस पानी ने सड़क को बेहतर बना दिया। जिसे बोल-चाल की भाषा में "गड्डे" कहते हैं क्योंकि बरसात के इस मौसम में सभी देव, देवता (नेता, इंजीनियर, ठेकेदार) सभी अपना काम, नाम करके सुकून से सो जाते हैं। इनका सोना और उनका जागना किसी चमत्कार से कम नहीं है जिसके चलते सड़क को चार महीनों की र शनि र की साढ़े साती लग जाती है माफ करना र मनी र

की साढ़े साती लगी हुई है। जिसकी वजह से सड़क को खूबसूरत बनाने में परेशानी का सामना करना पड़ा रहा है। नेताजी, ठेकेदार, इंजीनियर तो जी-जान से लगाकर बरसात के दिनों में भी अपने काम को थुड़ स्तर की तरह कर रहे हैं लेकिन जनता ही है कि, वह समझ ही नहीं पा रही है और इन र ईमानदारों र पर व्यर्थ ही आरोप लगाती है कि, ये लोग सड़क खा गए जबकि बरसात की वजह से सड़कों की हालत बिगड़ी है। और कुछ नहीं। समझदार को इशारा काफी है। समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूं।

-प्रकाश हेमावत

महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों के खतरे के प्रति दृष्टिकोण पर पुनर्विचार की जरूरत: जमाअत सचिव

मुख्य संवाददाता

नई दिल्ली। ओडिशा के बालासोर के फकर मोहन कॉलेज की यौन उत्पीड़न की शिकार 20 वर्षीय छात्रा ने न्याय न मिलने के कारण खुद को आग के हवाले कर दिया जिसमें उसकी दुखद मौत हो गयी। इस घटना पर जमाअत-ए-इस्लामी हिंद की राष्ट्रीय सचिव रहमतुन्निसा ए ने अपना गहरा दुःख और रोष व्यक्त किया। मोडिया को दिए गए एक बयान में रहमतुन्निसा ने कहा, रयह सिर्फ प्रशासनिक विफलता का मामला नहीं है, बल्कि हमारी संस्थाओं का यह नैतिक पतन है, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं।

जब एक युवा महिला बार-बार मदद की गुहार लगाने के बाद इस तरह के दर्दनाक अंत की ओर धकेल दी जाती है, तो इसके लिए व्यवस्था दोषी है। यह पीड़ितों की सुरक्षा और सहायता करने के अपने कर्तव्य में पूरी तरह विफल रही। हम मानवीय गरिमा और न्याय की पवित्रता में दृढ़ता से विश्वास करते हैं। पीड़ितों को न्याय और दोषियों को सजा, चाहे उनकी पोजीशन और हैसियत कुछ भी हो, एक समतावादी समाज के विकास के लिए आवश्यक है। रहमतुन्निसा ने कहा जमाअत-ए-इस्लामी हिंद की मांग है कि: (1) घटना की स्वतंत्र न्यायिक जांच हो, (2) संस्थागत

विफलता के लिए जिम्मेदार लोगों का तत्काल इस्तीफा हो, और (3) शैक्षणिक संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए मजबूत तंत्र की स्थापना की जाए। देश के सभी नागरिकों से आह्वान करते हैं कि वे भारत में प्रमहिला जाति की सुरक्षा, सम्मान और न्याय को सुनिश्चित बनाने के लिए सक्रिय योगदान दें। हमें महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न और यौन अपराधों के खतरे के प्रति अपने दृष्टिकोण पर भी पुनर्विचार करना होगा। सख्त कानूनों के साथ-साथ समाज में नैतिक सुधार को भी लागू किया जाना चाहिए।"



पूर्व सीएम चन्द्रभान गुप्त थे सादगी, सेवा और ईमानदारी का प्रतीक : राकेश मणि

सुनील बाजपेई

कानपुर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रभान गुप्त अपने जीवन भर सादगी सेवा और ईमानदारी का प्रतीक रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में जनता की सेवा करने में भी कोई कसर नहीं रखी, जिसके लिए उनके कार्यकाल को सदैव याद रखा जाएगा। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री स्व० चन्द्रभान गुप्त के 124 वीं जयन्ती पर उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हिन्दी भावदूर किसान पंचायत के राष्ट्रीय सचिव व प्रदेश महामंत्री राकेशमणि पाण्डेय ने कहा कि आज के दौर में नेताओं में अपनी पुरतों दरपुरतों की व्यवस्था में लगे हैं और इन्तजार करते हैं कि उनके खानदान का कोई व्यक्ति या बच्चा कैसे 18 वर्ष का हो उसे विधायक व सांसद बनाया जा सके। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री और सफल राजनेता रहे स्व० चन्द्रभान गुप्त ने अपने राजनैतिक काल में परिवार को राजनीति में दखल करने का कोई अवसर नहीं दिया। यहां तक की अपने निजी आवास तक

को अस्पतालो को दान कर दिया। अपने कार्यालय में आयोजित स्व० चन्द्रभान गुप्त के 124 वीं जयन्ती पर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वरिष्ठ श्रमिक नेता राकेश मणि पांडेय ने कहा कि अब चंद्रभान गुप्त जैसे राजनेता अब नहीं के बराबर रह गये हैं। देश और समाज हित में उनके कृतित्व और व्यक्तित्व की गहन चर्चा करते हुए चर्चित श्रमिक नेता राकेश मणि पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री राजनेता चंद्रभान गुप्त परिवारवाद, जातिवाद और धनवाद के खिलाफ थे जबकि आज के नेताओं में इसका लालच कूट कर भरा है। हिंद मजदूर किसान पंचायत की वरिष्ठ पदाधिकारी राकेश मणि पांडेय ने यह अभी कहा कि हम अपने पूर्वजों के आदर्शों को खोता जा रहे हैं। लखनऊ को एक वैभवशाली क्षेत्र के रूप में विकसित करने का काम स्व० चन्द्रभान गुप्त जी ने किया और तमाम स्थलों को मौलाल ट्रस्ट बनाकर निर्माण किया। चन्द्रभान गुप्त ने



लखनऊ को एक अलग पहचान दी। उनके द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में मनोरंजक के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में हस्त उद्योग के क्षेत्र में तमाम योजनाएं किया, जो आज लखनऊ के विकास की नींव है। उन्होंने कहा कि चन्द्रभान गुप्त के नाम पर डाक टिकट जारी कर राजनाथ सिंह ने

एक सराहनीय कार्य किया है किन्तु लखनऊ में उनके आदर्शों और विचारों के युक्त एक संग्रहालय की स्थापना की जानी चाहिए। चर्चित श्रमिकनेता राकेश मणि पांडेय के मुताबिक हिन्द मजदूर किसान पंचायत जल्द ही चन्द्रभान गुप्त विचार गोष्ठी

लागभग 15 दिनों का चलाने का कार्य प्रारम्भ कर रही है। जिसमें उनके समस्त कृत्यों आदि पर चर्चा करके नई पीढ़ी को एक अवसर प्रदान करेंगी कि वह समाज व देश प्रदेश की सेवा के लिए कृत्य संकल्पित हों। चन्द्रभान गुप्त सदैव महगे चुनाव और चुनाव में धन की महत्वता को समाप्त करने की मोहिम में लगे थे। वह चाहते थे कि समाज के ऊर्जावान, योग्य और प्रतिभाशाली बिना किसी धनबल के चुनाव में उतरे और उन्हें सफलता मिले जिससे समाज एक बहतर रूप से विकसित हो सके। वह प्रलोभन से भी घृणा करते थे। उनको उपेक्षायें शिक्षा के प्रति अति संवेदनशील थी। इसीलिए कई शिक्षक संस्थाएं भी उनके द्वारा योजित की गयी थी, वह चाहते थे कि एक समान शिक्षा सरकारी माध्यम से बहतर शिक्षा संस्थाओं के उपयोग से देश को सुदृढ़ व प्रतिभाशाली बनाया जा सकता है। आज की पीढ़ी को उनके मूल्यों को जानने की आवश्यकता है, जिसके लिए हिन्द मजदूर किसान पंचायत पहल करेगी।

श्रीनाथ धाम में 29 वां अष्टोत्तरशत श्रीमद्भागवत सप्ताह पारायण एवं कथा महोत्सव 29 जुलाई से



(डॉ. गोपाल चतुर्वेदी) वृन्दावन। गांधी मार्ग स्थित श्रीनाथ धाम में सप्त दिवसीय 29 वां अष्टोत्तरशत श्रीमद्भागवत सप्ताह पारायण एवं कथा महोत्सव 29 जुलाई से 04 अगस्त 2025 पर्यन्त विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के मध्य अत्यंत श्रद्धा एवं धूमधाम के साथ आयोजित किया जाएगा। जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी डॉ. गोपाल चतुर्वेदी ने बताया है कि श्रावण मास के अवसर पर आयोजित इस महोत्सव का शुभारंभ 29 जुलाई को अपराह्न 03 बजे प्रखंड संत सद्गुरु ज्ञानेश्वर महाराज एवं श्रीमज्जनद्वार श्रीनाभापीठाधीश्वर स्वामी सुतीक्ष्णदास देवाचार्य महाराज के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य दीप तल्पश्चालित करके किया जाएगा। तल्पश्चालन 03 से सायं 06 बजे तक विश्वविख्यात भागवत प्रवक्ता पुराणाचार्य डॉ. मनोज मोहन शास्त्री अपनी सुमधुर वाणी के द्वारा देश-


विदेश से आए असंख्य भक्तों-श्रद्धालुओं को श्रीमद्भागवत की कथा का रसास्वादन कराएंगे। इसके अलावा नित्य प्रातः 06 बजे से मध्याह्न 12 बजे तक 108 वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा श्रीमद्भागवत महापुराण का मूल पारायण किया जाएगा। डॉ. गोपाल चतुर्वेदी ने बताया है कि महोत्सव के अंतर्गत 02 जुलाई को सायं 07 बजे से भागवत भूषण षण्डित श्रीनाथ शास्त्री पुराणाचार्य र श्रीहनुमद् आराधन मण्डल के द्वारा सुन्दरकांड का संगीतमय सामूहिक पाठ किया जाएगा। 03 अपराह्न के भुवालका जन कल्याण ट्रस्ट के द्वारा ब्रज विभूति अभिनन्दन एवं मेधावी छात्र-छात्रा प्रोत्साहन समारोह आयोजित होगा। स्वागतार्थ्यक्ष पीयूष शर्मा एवं पदनाभ शास्त्री ने सभी भक्तों-श्रद्धालुओं से इस महोत्सव में उपस्थित होने का आग्रह किया है।

अब मतदाता सूचियों में विदेशी नामों का हौवा

(आलेख : राजेंद्र शर्मा)

जिसकी आशंका थी, बिहार में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के पीछे के असली खेल का पर्दे के पीछे से झांकना शुरू हो गया है। यह शुरूआत हुई है इसके दावों के साथ कि मतदाता सूची पुनरीक्षण के क्रम में घर-घर जाना से मिल रही जानकारी से पता चला है कि मतदाता सूची में बड़ी संख्या में नेपाली, बंगलादेशी और म्यांमार के लोगों के नाम हैं। बेशक, अभी तक ये कथित जानकारियां, चुनाव आयोग में मौजूद 'सूत्रों' से आ रही जानकारियों के तौर पर ही मीडिया में आयी हैं। चुनाव आयोग ने खुद औपचारिक रूप से न तो ऐसा कोई बयान दिया है और न ऐसा कोई दावा किया है। बहरहाल, ये खबरें जितने बड़े पैमाने पर और वास्तव में जिस तरह हर जगह ही मीडिया में आयी हैं, उससे साफ है कि यह दबी-छुपी जानकारी का मामला नहीं है, जिसे किन्हीं इक्का-दुक्का सूत्रों ने उजागर कर दिया है और इस या उस मीडिया संस्थान के हाथ लग गयी हैं। इसके विपरीत, यह 'सूत्रों' के नाम पर खुद चुनाव आयोग द्वारा बड़े पैमाने पर खबर प्लांट किए जाने का मामला है। यह किसी से छुपा नहीं है कि मोदी राज की अपारदर्शिता के आधा अकार्ड संचयन में रच-बसकर चुनाव आयोग ने भी अपनी स्वतंत्र भूमिका के अधिकतम पारदर्शिता के तकाजों को भुलाकर, मीडिया के जरिए जनता से और स्वयं सौध राजनीतिक पार्टियों के साथ भी संवाद कम से कम कर दिया है। मोदी राज की तरह अब चुनाव आयोग भी संवाददाता सम्मेलन और चुनाव प्रक्रिया की मुख्य हितधारक, राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठके कम से कम करता है और ज्यादा से ज्यादा 'सूत्रों' के नाम पर खबरें प्लांट करने का सहारा लेता है। यही बड़ी संख्या में विदेशियों के नाम मतदाता सूचियों में होने के प्रचार के मामले में हो रहा है। कहने की जरूरत नहीं है कि यह एक जन-

धारणा बनाने का और उसका अधिकतम प्रचार करने का ही खेल है। इस खेल में इस तरह का 'सूत्रों' के नाम पर किया जाने वाला प्रचार, खासतौर पर मददगार होता है, जिसे विश्वसनीय बनाने के लिए जिस संस्था के नाम पर इस्तेमाल किया जाता है, उस संस्था को मंडन या खंडन में से कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं होती है और इस तरह वास्तव में वह मौन स्वीकृति से इस धारणा के बनने में मदद ही कर रही होती है। यह मदद महत्वपूर्ण रूप से इस अर्थ में भी की जा रही होती है कि इस खबर, जिसे वास्तव में अफवाह ही कहना चाहिए, की जांच के लिए सवालें के जवाब देने के लिए, उसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई होता ही नहीं है। मिसाल के तौर पर 'मतदाता सूची में बड़ी संख्या में विदेशियों के नाम' होने की इस धारणा के सिलसिले में, जिसको सत्ताधारी संघ-भाजपा से जुड़ा पूरा का पूरा प्रचार सिस्टम जोर-शोर से फैलाने में लगा हुआ है, न तो इसका कहीं कोई जवाब मिलेगा कि ये 'बड़ी संख्या' आखिरकार है कितनी और न ही इसका कोई जवाब मिलेगा कि घर-घर जाने के क्रम में अधिकारियों को यह जानकारी मिली कैसे? कथित रूप से घर-घर गए, निचले दर्जे के अधिकारियों ने, जिनमें ज्यादातर बीजलओ को भी भूमिका आदा कर रहे स्कूल अध्यापक ही हैं, कैसे जाना, किस तरह की जांच के जरिए जाना कि मतदाता सूची में शामिल अनेक नाम, वास्तव में विदेशियों के नाम हैं। दूसरी ओर, 'सूत्रों' के नाम पर फैलायी जा रही इन अफवाहों में आयोग के नाम पर ही यह अफवाह और जोड़ दी गयी है कि इन नामों को पक्की मतदाता सूची में से हटा दिया जाएगा। कैसा? इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं है, हालांकि गोल-मोल तरीके से यह जरूर कहा जा रहा है कि 'जांच के बाद' नामों को हटा दिया जाएगा। लेकिन, जैसा कि बिहार में जारी पुनरीक्षण की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में दी गयी



कानूनी चुनौतियों में बलपूर्वक रेखांकित किया गया है और अदालत भी जिससे सहमत नजर आयी है, नागरिकता की जांच करना चुनाव आयोग के दायरे में आता ही नहीं है। ऐसे में आयोग किसी भी रूप में नागरिकता की जांच को, मतदाताओं के नाम सूची में जोड़ने / हटाने का अधिकार ही नहीं सकता है। लेकिन, उद्देश्य उतना नाम हटाना नहीं है, जितना विदेशी घुसपैठ का हौवा खड़ा करना है। इस खेल के दो मकसद तो आसानी से पहचाने भी जा सकते हैं। पहला तो यही कि जिस बात की शुरू से ही आशंका जतायी जा रही थी कि, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की इस पूरी प्रक्रिया का ही मकसद मतदाता सूचियों की साफ-सफाई के नाम पर, इन सूचियों से वैध मतदाताओं की उल्लेखनीय संख्या को बाहर करना है, उसका इस तरह से औपचारिक सिद्ध किया जा रहा होगा। और चूंकि इस पुनरीक्षण की पद्धति को इस तरह से ढाला गया कि यह ग्रामीण व शहरी गरीबों पर, कमजोर तबकों/ जाति के लोगों पर, कम पढ़े-लिखे लोगों पर, अल्पसंख्यकों और महिलाओं पर ही सबसे ज्यादा चोट करेगी, जबकि संपन्न, शिक्षित, सवर्ण पर

सबसे कम चोट करेगी, मतदाता सूचियों को यह 'सफाई', वस्तुगत रूप से सत्तापक्ष की मदद करेगी, जिसे वंचितों का अपेक्षाकृत कम और अधिकार-संपन्नो का अपेक्षाकृत अधिक समर्थन हासिल है। चुनाव आयोग की इस सब में इसलिए भी अतिरिक्त दिलचस्पी हो सकती है कि इस प्रक्रिया के अंत में उल्लेखनीय संख्या में मतदाताओं की छंटनी को, जो इस प्रक्रिया में ही निहित है, 'विदेशियों' की छंटनी के नाम पर न सिर्फ उचित ठहराया जा रहा होगा बल्कि आयोग मतदाता सूची पुनरीक्षण की इस पहलू में ही रक्षा के लिए अपनी पीठ भी ठोक सकेगा। याद रहे कि मतदाता सूची में विदेशी नामों की 'खबरों' ने खासतौर पर तब जोर पकड़ा है, जब मुख्यधारा के मीडिया के सरकारी ही तरह चुनाव आयोग का भी भोपू बनने के बावजूद, अपनी सहस्रों स्वतंत्र पत्रकारों ने किसी भी तरह तय समय सीमा में इस नामुमकिन पुनरीक्षण को मुमकिन कर दिखाने की हड़बड़ी में, चुनाव आयोग द्वारा जमीनी स्तर पर अग्रणी ही बनाए तमाम नियम कायदों को

उठाकर ताक पर ही रख देने की सच्चाई को उजागर कर दिया है। यह मतदाता सूचियों में भारी धांधली और मनमानी की स्थितियों बनाता है। इस तरह ध्यान बंटाने के हथकंडों के जरिए सवालें से बचना तो, वर्तमान शासकीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा ही बन चुका है। दूसरा मकसद, और भी सीधा है। विदेशी घुसपैठ के खतरे का हौवा खड़ा करना, वर्तमान सत्ताधारियों के तरकश का एक प्रमुख तीर है। इस तीर की प्रमुखता का एक बड़ा आधार यह है कि 'विदेशी' को आसानी से 'मुस्लिम' का पर्याय बनाया जा सकता है और इस तरह 'विदेशी घुसपैठ के खतरे' को आसानी से मुस्लिमविरोधी का हथियार बनाया जा सकता है। मोदी निजाम के 11 साल में ही और खासतौर पर 2024 के आम चुनाव के समय से ही, मुस्लिमविरोधी चुनाव के नतीजे के बाद से वर्तमान सत्ताधारी ताकतें, मुस्लिम घुसपैठियों के हौवे को खासतौर पर हवा दे रही हैं। झारखंड के विधानसभाई चुनावों में तो बंगलादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठालने की प्रधानमंत्री के स्तर तक से, हर संभव कोशिश की गयी थी, हालांकि झारखंड की जनता ने इसे

खारिज कर दिया। अब बिहार के चुनाव के लिए और उससे भी आगे, अगले साल के चुनाव में होने वाले असम तथा पश्चिम बंगाल के विधानसभाई चुनाव लिए खासतौर पर, बंगलादेशी घुसपैठ के भूत को नचाने की कोशिशों की जा रही हैं। वैसे इस कुछ महीनों में राजधानी दिल्ली से लेकर अलग-अलग तक और ओडिशा समेत देश के दूसरे कई हिस्सों में कथित घुसपैठियों की पकड़-धकड़ के नाम पर, बंगला भाषा बोलने वाले मुसलमानों को खासतौर पर निशाना बनाया जा रहा है। इसी दौरान, पुनः सूत्रों के ही हवाले से, इसकी खबरें भी आनी शुरू हो चुकी हैं कि चुनाव आयोग ने देश के पैमाने पर, बिहार जैसे ही विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए अत्युत्तम उठाने की शुरूआत कर दी है। स्वाभाविक रूप से विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग की इस जल्दबाजी की आलोचना की है और कहा है कि उसे इस प्रक्रिया के लिए सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन चुनौतियों के फैसले का इंतजार करना चाहिए था। 128 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इन याचिकाओं के सुने जाने की संभावना है। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट के सामने बिहार के विशेष गहन पुनरीक्षण की सत्यता का मुद्दा ही विचाराधीन नहीं है, बल्कि इसके लिए अपनायी गयी प्रक्रिया और अधिकार क्षेत्र के मुद्दे भी विचाराधीन हैं, जो इसके अखिल भारतीय प्रयास के संदर्भ में प्रासंगिक हैं। यही नहीं, जैसा कि पूर्व-चुनाव आयुक्त लवासा ने अपने एक लेख में ध्यान दिलाया है -- 2003 की मतदाता सूची को आधार बनाकर, सभी मतदाताओं का दो श्रिणियों में विभाजन और इत्ती प्रकार, जन्म तिथियों के आधार पर मतदाताओं का श्रेणी विभाजन भी, आसानी से अदालत को हजम होने वाला नहीं है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और साप्ताहिक पत्रिका 'लोकलहर' के संपादक हैं।)

टेस्ला इंडिया लॉन्च: सिर्फ 15 मिनट में होगी चार्ज, 622KM तक की रेंज, जानें हर वेरिएंट की कीमत

परिवहन विशेष न्यूज

टेस्ला ने भारतीय बाजार में एंट्री की है और कंपनी का पहला शोरूम खोला है। टेस्ला ने भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार Tesla Model Y की कीमतों का खुलासा किया है। मॉडल Y के रियर-व्हील ड्राइव (RWD) वेरिएंट की कीमत 60 लाख रुपये और मॉडल Y लॉन्ग रेंज RWD वेरिएंट की कीमत 68 लाख रुपये से शुरू होती है।

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में आज 15 जुलाई को Tesla एंट्री करने वाली है। आज के दिन ही कंपनी का पहला शोरूम भारत में खुलेगा। टेस्ला ने अपने शोरूम के खुलने से पहले की अपनी भारत की पहली इलेक्ट्रिक कार Tesla Model Y की कीमतों का खुलासा कर दिया है। आइए विस्तार में जानते हैं कि Tesla Model Y की कीमत कितनी है और यह किन खास फीचर्स के साथ आती है?

Tesla Model Y की कीमत
शहर वेरिएंट कीमत एक्स-शोरूम (रुपये में) ऑन-रोड कीमत (रुपये में)
दिल्ली RWD 59.89 लाख
60.99 लाख
LR- RWD
67.89 लाख 69.14 लाख
मुंबई RWD 59.89 लाख



61.07 लाख

LR- RWD

67.89 लाख

69.15 लाख

गुरुग्राम RWD

59.89 लाख

66.76 लाख

LR- RWD

67.89 लाख

75.61 लाख

टेस्ला मॉडल Y को भारतीय बाजार में दो वेरिएंट में लॉन्च किया जाएगा, जो मॉडल Y रियर-व्हील ड्राइव (RWD) और मॉडल Y लॉन्ग रेंज रियर-व्हील ड्राइव (RWD) है। Model Y रियर-व्हील ड्राइव वेरिएंट की कीमत 60 लाख रुपये

और Model Y लॉन्ग रेंज रियर-व्हील ड्राइव वेरिएंट की कीमत 68 लाख रुपये में भारतीय बाजार में बिक्री की जाएगी।

ग्लोबल बाजार में कीमत

भारत में मॉडल Y की कीमतें अन्य प्रमुख बाजारों की तुलना में काफी ज्यादा हैं। अमेरिका में मॉडल Y की शुरुआती कीमत \$44,990 है।

चीन में मॉडल Y की कीमत 263,500 युआन है।

जर्मनी में मॉडल Y 45,970 यूरो से शुरू होती है।

Tesla Model Y की बैटरी और

रेंज

Tesla Model Y को सिंगल कॉन्फिगरेशन ऑप्शन के साथ आने वाली है। Model Y RWD वेरिएंट की रेंज 500km तक मिलेगी, जबकि मॉडल Y लॉन्ग रेंज रियर-व्हील ड्राइव की रेंज 622km तक मिलेगी। दोनों की ही टॉप स्पीड 201 किमी प्रति घंटा है। इसका RWD वेरिएंट 5.9 सेकेंड में 0 से 100 किमी की रफ्तार पकड़ लेता है, जबकि लॉन्ग रेंज रियर-व्हील ड्राइव वेरिएंट 5.9 सेकेंड में 0 से 100 किमी की स्पीड पकड़ सकता है।

डिजाइन और फीचर्स

Tesla Model Y के नए वर्जन में पिछले मॉडल की तुलना में कई डिजाइन अपडेट देखने के लिए मिले हैं। इसके फ्रंट में स्लीकर लाइट्स दी गई हैं, जो इलेक्ट्रिक कार को ज्यादा मॉडर्न लुक देती हैं। इसके अलावा, साइज में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। इसके पीछे की तरफ कनेक्टेड टेल लाइट्स दी गई हैं। इसे पर्ल व्हाइट, स्टीलथ्रू ग्रे, डीप ब्लू मेटैलिक, अल्ट्रा रेड, क्विकसिल्वर और डायमंड ब्लैक जैसे पेंट कलर डिजाइन के साथ पेश किया जाता है।

दिल्ली और गुरुग्राम में भी बिकेगी Tesla Model Y, जानिए कितनी होगी कीमत

Tesla Model Y launched अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला ने भारतीय बाजार में एंट्री कर ली है। कंपनी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार टेस्ला मॉडल Y को लॉन्च किया है जिसकी शुरुआती कीमत 59.89 लाख रुपये है। इसके साथ ही मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में पहला शोरूम खोला गया है और दिल्ली गुरुग्राम और बंगलुरु में भी शोरूम खोलने की योजना है।

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी Tesla की एंट्री हो गई है। कंपनी ने भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार Tesla Model Y को भारत में लॉन्च कर दिया है। इसके साथ ही कंपनी ने भारत में अपना पहला शोरूम मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) में खोला है। इसके साथ ही कंपनी देश के दूसरे शहरों में भी अपने शोरूम को खोलेगी।

दिल्ली और गुरुग्राम में भी खुलेगा शोरूम
Tesla ने भारत में अपना पहला शोरूम मुंबई में खोला है। अब कंपनी अपने बाकी शोरूम दिल्ली, गुरुग्राम और बंगलुरु में भी खोलेगी। बंगलुरु में टेस्ला का पहला से ही एक ऑफिस है। दिल्ली और गुरुग्राम में शोरूम खोलने की तलाश पूरी हो चुकी है, जहां पर जल्द ही कंपनी अपने डीलरशिप खोल सकती है। इन डीलरशिप के जरिए टेस्ला दिल्ली और गुरुग्राम में अपनी इलेक्ट्रिक कार Tesla Model Y की बिक्री करेगी।

विनफास्ट VF6 और VF7 इलेक्ट्रिक SUV की भारत में बुकिंग शुरू, जानें कब होगी लॉन्च और क्या होगी कीमत



परिवहन विशेष न्यूज

वियतनामी इलेक्ट्रिक कार निर्माता VinFast ने भारत में VF6 और VF7 इलेक्ट्रिक SUV की बुकिंग शुरू कर दी है। 21000 रुपये की टोकन राशि देकर ग्राहक इन प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV को बुक कर सकते हैं। VinFast VF7 में 75.3 kWh की बैटरी है जो 431 किलोमीटर की रेंज देती है जबकि VF6 में 59.6 kWh बैटरी है जो 381 किलोमीटर की रेंज देती है।

नई दिल्ली। वियतनामी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी VinFast भारतीय बाजार में आज, 15 जुलाई से अपनी प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV, VinFast VF 7 और VinFast VF 6 की

बुकिंग शुरू कर दी है। भारतीय ग्राहक अपनी पसंदीदा VinFast इलेक्ट्रिक SUV को कंपनी के शोरूम या आधिकारिक वेबसाइट, VinFastAuto.in पर 21,000 रुपये की टोकन राशि देकर बुकिंग कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि भारत में VinFast अपनी गाड़ियां कब लॉन्च करेगी और इनकी कीमत कितनी होगी?

लॉन्च और डिलीवरी की जानकारी

VinFast VF 7 और VinFast VF 6 को भारतीय बाजार में अगस्त 2025 में लॉन्च किया जा सकता है। कंपनी इन दोनों गाड़ियों का लॉन्च तूतीकोरिन, तमिलनाडु में स्थित नए प्लांट के उद्घाटन के बाद होगा। प्लांट के उद्घाटन के बाद ही ग्राहकों को

वाहनों की डिलीवरी शुरू हो जाएगी।

VinFast VF 7 और VF6 में क्या खास है?

इलेक्ट्रिक SUV VinFast VF 7 को प्रीमियम इंटीरियर के साथ पेश किया जाता है। इसमें लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS), बड़ी टचस्क्रीन, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, पैनोरमिक ग्लास रूफ, वायरलेस चार्जिंग और सिग्नेचर LED लाइटिंग जैसे फीचर्स दिए जाते हैं। इसमें 75.3 kWh की बैटरी पैक मिलेगा, जो फुल चार्ज होने के बाद 431 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज देगा। इसमें लगी मोटर से 348 हॉर्स पावर की पावर जनरेट करती है।

VinFast VF 6 को भी कई बेहतरीन फीचर्स के साथ पेश किया जाता

है। इसमें 2 ADAS, इन्फोटेनमेंट सिस्टम, कनेक्टेड फीचर्स, सिग्नेचर लाइटिंग और पैनोरमिक रूफ दिया जाता है। इसके अलावा भी यह कई शानदार और एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स के साथ आती है। इसमें 59.6 kWh बैटरी पैक दिया गया है। इसमें दी गई मोटर से 201 हॉर्स पावर जनरेट करती है। सिंगल चार्ज में यह 381 किलोमीटर तक की रेंज देगी।

कितनी होगी कीमत?

कंपनी की तरफ से अभी तक इन दोनों की कीमतों का एलान नहीं किया गया है। हमें उम्मीद है कि VinFast VF 6 की कीमत करीब 25 लाख रुपये और VinFast VF 7 की कीमत करीब 30-35 लाख रुपये के आसपास हो सकती है।

किआ कैरेंस क्लेविस ईवी भारत में लॉन्च: कीमत 17.99 लाख से शुरू, मिलेगी 490km तक की रेंज



Kia Carens Clavis EV Launched in India किआ ने भारत में अपनी पहली मेड-इन-इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन Kia Carens Clavis EV लॉन्च की है जो कैरेंस एमपीवी का इलेक्ट्रिक संस्करण है। यह 42 kWh और 51.4 kWh के बैटरी पैक के साथ आती है जो क्रमशः 404 किमी और 490 किमी तक की रेंज देती है। इसमें 171hp की पावर वाला इलेक्ट्रिक मोटर है।

नई दिल्ली। किआ ने भारतीय बाजार में अपनी पहली मेड-इन-इंडिया मास-मार्केट इलेक्ट्रिक वाहन Kia Carens Clavis EV को लॉन्च कर दिया है। यह कंपनी की पॉपुलर Carens Clavis MPV का इलेक्ट्रिक वर्जन है। इसे कई प्रीमियम फीचर्स के साथ भारत में लॉन्च किया गया है। आइए इसके बारे में विस्तार में जानते हैं कि किआ कैरेंस क्लेविस ईवी को किन फीचर्स, रेंज और कीमत पर भारत में लॉन्च किया गया है?

बैटरी पैक और रेंज

Kia Carens Clavis EV को दो बैटरी पैक 42 kWh और 51.4 kWh के साथ लेकर आया गया है। कंपनी का दावा है कि इसका 42 kWh बैटरी पैक 404 किलोमीटर तक की रेंज और 51.4 kWh बैटरी 490 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज देगी। इसमें फ्रंट-एक्सल माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर दिया गया है, जो 171hp की पावर और 255Nm का टॉर्क जनरेट करता है। Kia का दावा है कि यह 8.4 सेकेंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ सकती है। इसमें 4-लेवल रीजेनरेटिव ब्रेकिंग और स्टीयरिंग कॉलम-माउंटेड ड्राइव सेलेक्टर भी दिया गया है। यह 100kW DC चार्जर्स से केवल 39 मिनट में 10% से 80% तक चार्ज हो जाती है।

गाड़ी का स्टेयरिंग कांपने लगे तो हो जाएं सावधान, ये 4 खराबियां बन सकती हैं वजह

कई लोग कार खरीदने के बाद देखभाल में लापरवाही करने लगते हैं। जिस कारण कार में कई तरह की समस्याएं आ जाती हैं। ऐसी ही एक समस्या स्टेयरिंग में वाइब्रेशन की होती है। अगर आप भी कार चलाते हैं और उस समय आपको भी यह महसूस होता है कि स्टेयरिंग में काफी ज्यादा वाइब्रेशन होती है। किन कारणों से ऐसा होता है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। कार निर्माताओं की ओर से बेहतरीन तकनीक का उपयोग कर कारों को बनाया जाता है। लेकिन खराब सड़कों और रखरखाव में लापरवाही के कारण कई बार ऐसी समस्याएं गाड़ी में आ जाती हैं, जिनके कारण लंबे समय तक परेशानी होती है। ऐसी ही एक समस्या कार को चलाते हुए स्टेयरिंग में वाइब्रेशन के कारण होती है। कार के स्टेयरिंग में किन चार कारणों से वाइब्रेशन की समस्या हो जाती है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

अलाइनमेंट का आऊट होना
लगातार कार को खराब सड़कों पर चलाने से कई तरह की समस्याएं आने लगती हैं। इनमें से एक समस्या कार के पहियों का अलाइनमेंट आऊट होना होती है। अगर आपकी कार के पहियों की अलाइनमेंट भी आऊट हो जाए तो कार चलाते हुए स्टेयरिंग में वाइब्रेशन होने लगता है। ऐसा होने पर कार एक दिशा में जाने लगती है। इसके साथ ही

वाइब्रेशन महसूस होने लगता है। इससे बचने के लिए समय समय पर कार के अलाइनमेंट को चेक करवाना चाहिए।

सर्स-पेंशन में खराबी आना
खराब सड़कों पर लंबे समय तक कार चलाने के कारण सर्स-पेंशन में भी खराबी आ जाती है। एक बार यह खराबी आ जाए तो गाड़ी चलाने पर स्टेयरिंग में वाइब्रेशन भी होने लगती है। अगर समय पर इस समस्या को दूर न करवाया जाए तो फिर गाड़ी में और भी कई तरह की परेशानियों के आने का खतरा बढ़ जाता है। जिसे ठीक करवाने में समय और पैसा दोनों खर्च होते हैं।

लापरवाही बरतने पर
अगर कार चलाते हुए लापरवाही बरती जाए और लंबे समय तक गाड़ी को खराब सड़कों, खराब ड्राइविंग पैटर्न के साथ चलाया जाता है तो भी स्टेयरिंग में वाइब्रेशन होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ ही कई बार ऐसा मौसम में काफी ज्यादा बदलाव के कारण भी होने लगता है।

ब्रेक रोटार में खराबी आना
अगर आपकी कार के ब्रेक रोटार में खराबी आ जाती है तो भी कार चलाते हुए स्टेयरिंग में वाइब्रेशन होने लगता है। आमतौर पर यह तब होता है जब गाड़ी में ब्रेक लगाए जाते हैं। ब्रेक रोटार और ब्रेक पैड मिलकर ही कार को रोकते या स्पीड को कम करते हैं। लेकिन इनके खराब होने पर स्टेयरिंग में वाइब्रेशन हो जाता है।



कार के स्टेयरिंग में कैसे आ जाती है खराबी

भारतीय चुनावी लोकतंत्र की रीढ़ है-अनुच्छेद 326

हाल ही में बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन में एक बड़ा खुलासा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वोटर लिस्ट में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोगों के नाम पाए गए हैं। पाठकों को बताता चर्चा बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के दौरान निर्वाचन आयोग में उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, बिहार में एसआइआर के दौरान घर-घर जाकर (डोर टू डोर कैंपेन) किए गए दौरों में बूथ लेवल अफसरों यानी बीएलओ को नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से अवैध रूप से आए लोग बड़ी संख्या में मिले हैं। इधर, विपक्षी दलों ने आयोग के इस दावे को लेकर सवाल उठाए हैं। वोटर लिस्ट के संदर्भ में अधिकारियों ने यह बात कही है कि पाए गए सभी संदिग्ध नामों की पूरी जांच की जा रही है, जो लोग भारतीय नागरिक नहीं पाए जायेंगे, उनके नाम 30 सितंबर को जारी होने वाली अंतिम मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे। चुनाव आयोग के निर्देश पर बिहार में बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन कर रहे हैं। वास्तव में यह बहुत ही चिंताजनक बात है कि बिहार वोटर लिस्ट में दूसरे देशों के प्रवासियों के नाम मिले हैं। वास्तव में होना तो यह चाहिए कि कोई भी अवैध प्रवासी सूची में न रह जाए, क्योंकि इससे चुनाव प्रभावित हो सकते हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अवैध प्रवासियों की संख्या लाखों में बताई जा रही है। बताया जा रहा है आयोग ने ऐसे अवैध प्रवासियों की जांच के लिए 01 से 30 अगस्त के बीच विशेष अभियान चलाने की तैयारी

शुरू कर दी है, यह अच्छी बात है। बहरहाल, यहां पाठकों को बताता चर्चा कि अनुच्छेद 326, (भारतीय संविधान 1950) के मुताबिक लोक सभा और प्रत्येक राज्य की विधान सभा के लिए चुनाव वयस्क मतधिकार के आधार पर होंगे; अर्थात्, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जो ऐसी तारीख को, जो समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त नियत की जाए, इक्कीस वर्ष से कम आयु का नहीं है और जो इस संविधान या समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन नै-निवास, मानसिक विकृति, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा निरहित नहीं है, ऐसे किसी चुनाव में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार होगा। वास्तव में, संविधान के अनुच्छेद-326 के तहत सिर्फ भारतीय नागरिक ही मतदाता बन सकता है और आयोग के पास इसे जांचने का अधिकार है। यदि वह किसी व्यक्ति के दावे संतुष्ट नहीं होता है, तो वह उसे मतदाता बनने से रोक सकता है या फिर उसे मतदाता सूची से बाहर कर सकता है। इधर, आयोग के दावे पर बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने तीखे तौर पर अपनाते हुए यह बात कही है कि सूत्रों की बजाय आयोग के अधिकारियों को सामने आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर एक फीसदी मतदाताओं का भी नाम कट जाए तो उससे नतीजों पर अंतर होगा। उपलब्ध जानकारी के अनुसार बिहार में सात करोड़ 90 लाख मतदाता हैं और इनमें यदि अवैध वोटर मिले हैं, तो वाकई यह बहुत



ही गंभीर बात है। यदि किसी व्यक्ति नाम 1 अगस्त को जारी होने वाली मतदाताओं की ड्राफ्ट (अस्थायी) लिस्ट में शामिल नहीं होता है, तो वह व्यक्ति विशेष आवश्यक दस्तावेजों के साथ पहले मतदान पंजीकरण अधिकारी (इआओ) के पास आवेदन कर सकते हैं और यदि वहां से भी कोई समाधान नहीं मिलता है, तो वह व्यक्ति विशेष जिला निर्वाचन अधिकारी (डीओ) और फिर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीडओ) के पास अपील कर सकता है। आवश्यक दस्तावेजों में क्रमशः मान्यता प्राप्त बोर्ड या विधि द्वारा निर्गत शैक्षिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी), पासपोर्ट राज्य सरकार या स्थानीय प्रधिकारक द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर, बैंक, डाकघर, एलआईसी

संबंध में उनका यह कहना है कि इससे पात्र नागरिकों को मताधिकार से वंचित किया जा सकता है। बहरहाल, पाठकों को बताता चर्चा कि पूरे देश में अगस्त माह से मतदाता सूची की जांच शुरू होगी। जानकारी के अनुसार बिहार के बाद चुनाव आयोग देशभर में यह प्रक्रिया शुरू करेगा। आयोग ने अगस्त से एसआइआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) की तैयारी के निर्देश दिए हैं। इससे यह सामने आ सकेगा कि कोई अवैध प्रवासियों ने तो मतदाता सूचियों में अपने नाम नहीं शामिल करवा लिए हैं। पाठकों को विदित ही होगा कि बिहार में कुछ समय बाद इस साल यानी कि 2025 में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं, असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव निर्धारित है। इन राज्यों में विदेशी नागरिकों की घुसपैठ और अवैध निवास लंबे समय से चिंता का विषय रहा है। हाल ही में देश के कई राज्यों में बांग्लादेश और म्यांमार के अवैध प्रवासियों के खिलाफ अभियान चलाया गया है। ऐसे में मतदाता सूचियों में सुधार को लेकर चुनाव आयोग का यह कदम बेहद अहम माना जा रहा है। हालांकि, इधर आधार कार्ड और राशन कार्ड को भी स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची में शामिल किए जाने की मांग की जा रही है। वास्तव में, इन दस्तावेजों को उन मतदाताओं द्वारा प्रस्तुत किया जाना है, जिनके नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नहीं थे, जब आखिरी बार मतदाता सूची की वेंटिंग (पुनरीक्षण) का कार्य किया गया था। उपलब्ध जानकारी के अनुसार एक अगस्त 2025 को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होगी इसमें वही

नाम शामिल किए जाएंगे, जिनके फॉर्म 25 जुलाई तक जमा हो जाएंगे। एक अगस्त से एक सितंबर तक लोग अपने नाम जोड़ने या आपत्ति दर्ज करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आयोग की ओर से अंतिम सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि राजनीतिक दलों को भी तैयारी की गई ड्राफ्ट सूची दी जाएगी और इसे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा, जो पारदर्शिता दिखाएगी। हालांकि, राज्यसभा सदस्य और पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने यह दावा किया कि बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण (वेंटिंग) का कार्य एक असंवैधानिक कदम है, जिसका उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि बहुसंख्यक समुदाय के हित में काम करने वाली सरकारें सत्ता में किसी भी तरह से बनी रहें। इधर, मतदाता सूची पुनरीक्षण (वेंटिंग) के मसले पर 'इंडिया गठबंधन' ने जिला से लेकर प्रखंड और गांव स्तर तक लोगों को जमीनी हकीकत बताने का निर्णय लिया है। अंत में यही कहेंगे कि जो भी पूरे देश में मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण समय-समय पर किया जाना चाहिए, जिससे यह पता चल सके कि भारत की मतदाता प्रणाली में केवल पात्र नागरिकों को ही मतदान का अधिकार है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 भारत के चुनावी लोकतंत्र की रीढ़ है, जो यह सुनिश्चित करता है कि शासन जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता का बना रहे।

सुनील कुमार महाला, प्रीलांस राइटर, कालमिस्ट व युवा साहित्यकार, उत्तराखंड।

(16 जुलाई: विश्व सर्प दिवस) डर के पीछे की सच्चाई: सांपों का संरक्षण क्यों जरूरी है?

जब सांप का नाम जहन में आता है, तो एक अनजाना डर, रहस्य की छाया और अनकही कहानियाँ मन को घेर लेती हैं। ये प्राणी, जो रात के सन्नाटे में फिसलते हैं और जंगलों की गहराइयों में छिपे रहते हैं, सदियों से मानवता के लिए भय और आकर्षण का केंद्र रहे हैं। फिर भी, हर साल 16 जुलाई को मनाया जाने वाला विश्व सर्प दिवस हमें इन प्राणियों को केवल डर की तज़ से नहीं, बल्कि प्रकृति के अभिन्न रक्षक के रूप में देखने की प्रेरणा देता है। सांप न तो केवल विषैले शिकारी हैं और न ही सिर्फ पौराणिक कथाओं के प्रतीक; ये धरती के उस नाजुक संतुलन का हिस्सा हैं, जिसके बिना हमारी खाद्य श्रृंखला, कृषि और जैव विविधता संकट में पड़ सकती है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि सांपों की रक्षा करना केवल उनकी प्रजातियों को बचाना नहीं, बल्कि हमारे पर्यावरण और भविष्य को सुरक्षित करने का एक अनमोल कदम है।



सांपों की दुनिया उतनी ही विविध और आश्चर्यजनक है, जितनी उनकी छवि रहस्यमयी है। विश्व भर में लगभग 3,700 सर्प प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से केवल 600 के आसपास ही विषैली हैं। इनमें से भी गिनी-चुनी प्रजातियाँ ही मानव जीवन के लिए खतरा बन सकती हैं। भारत, जो जैव विविधता का खजाना है, में लगभग 300 सर्प प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इनमें से चार—करंत, नाग (कोबरा), रसेल वाइपर और साँ-स्केल्ड वाइपर—अत्यधिक विषैले हैं और सर्पदंश से होने वाली मृत्यु के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के आँकड़ों के अनुसार, हर साल वैश्विक स्तर पर लगभग 1.38 लाख लोग सर्पदंश के कारण अपनी जान गँवाते हैं, जिनमें से अधिकांश मामले अफ्रीका और एशिया के ग्रामीण क्षेत्रों से सामने आते हैं। भारत में यह संख्या और भी चिंताजनक है, जहाँ प्रतिवर्ष औसतन 50,000 लोग सर्पदंश से मरते हैं, जो विश्व में सबसे अधिक है। लेकिन यह सच्चाई भी उतनी ही महत्वपूर्ण है कि इनमें से 90 प्रतिशत से अधिक मौतें समय पर चिकित्सा सुविधा और एंटीवेनम की उपलब्धता से रोकी जा सकती हैं। सर्पदंश से होने वाली अधिकांश मृत्यु का कारण अज्ञानता, अंधविश्वास और गलत उपचार हैं। ग्रामीण भारत में आज भी कई लोग झाड़ू-फूंक जैसे अवैज्ञानिक तरीकों पर निर्भर रहते हैं, जिससे अनमोल जीवन नष्ट हो जाते हैं।

साँप प्रकृति के सबसे प्रभावी कीट नियंत्रक हैं। ये चूहों और छोटे कृन्तकों को खाकर उनकी आबादी को नियंत्रित करते हैं, जो फसलों और अनाज भंडारों के लिए बड़ा खतरा

विलुप्त होने की कगार पर ला खड़ा किया है। भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत अधिकांश सर्प प्रजातियाँ संरक्षित हैं, फिर भी जागरूकता की कमी के कारण लोग साँपों को मारने में संकोच नहीं करते। विशेषज्ञों का कहना है कि सर्पदंश के 70 प्रतिशत मामले तब होते हैं, जब लोग साँपों को छेड़ते हैं या पकड़ने की कोशिश करते हैं। साँप स्वाभाविक रूप से आक्रामक नहीं होते; वे केवल आत्मरक्षा में हमला करते हैं। इसलिए, साँपों के प्रति हमारी सोच में बदलाव लाना अत्यंत आवश्यक है।

साँपों के संरक्षण के लिए ठोस और सामूहिक प्रयासों की जरूरत है। स्कूलों और ग्रामीण समुदायों में साँपों के महत्व, उनके व्यवहार और सर्पदंश के सही उपचार के बारे में जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में एंटीवेनम उपलब्ध कराया जाना चाहिए। भारत जैसे देश में, जहाँ सर्पदंश की घटनाएँ अधिक हैं, प्रशिक्षित 'स्नेक रेस्क्यू टीम' का गठन आवश्यक है, जो साँपों को सुरक्षित पकड़कर उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ सके। साथ ही, मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से साँपों को खतरनाक शिकारी के बजाय प्रकृति के सहायक के रूप में प्रस्तुत करने की जरूरत है। साँपों के बारे में सही जानकारी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने से न केवल सर्पदंश की घटनाओं को कम किया जा सकता है, बल्कि साँपों के संरक्षण में भी मदद मिलेगी।

विश्व सर्प दिवस हमें यह सिखाता है कि साँपों को केवल डर और घृणा की नज़र से देखना उचित नहीं है। ये जीव न केवल पारिस्थितिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि मानव जीवन को अप्रत्यक्ष रूप से सुरक्षित और समृद्ध बनाते हैं। साँपों के बिना हमारी कृषि, जैव विविधता और पर्यावरण पर गहरा संकट आ सकता है। इसलिए, इस दिन का सच्चा उद्देश्य केवल साँपों के प्रति जागरूकता फैलाना ही नहीं, बल्कि उनके संरक्षण की संस्कृति को समाज में स्थापित करना है। साँपों की रक्षा करना केवल उनकी प्रजातियों को बचाना नहीं, बल्कि हमारी धरती के भविष्य को सुरक्षित करने का एक कदम है। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम साँपों के प्रति अपनी सोच को बदलें, उनके महत्व को समझें और उनके संरक्षण के लिए सक्रिय रूप से योगदान दें। विश्व सर्प दिवस हमें यही संदेश देता है—साँप न तो हमारे दुश्मन हैं और न ही केवल पूजनीय प्राणी, बल्कि प्रकृति के वे सहायक हैं, जिनके बिना हमारा पर्यावरण अधूरा है।

प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी (मप्र)

कोख में कत्ल होती बेटियाँ: हरियाणा की घुटती संवेदना

बेटी भ्रूण हत्या : आँकड़े नहीं, संवेदना की चीख हरियाणा में केवल तीन महीनों में एक हजार एक सौ चौवन गर्भपात। कारण—कन्या भ्रूण हत्या की आशंका। छप्पन आशा कार्यकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस। निगरानी प्रणाली में चूक। पश्च परीक्षण प्रणाली और पुलिस के सहयोग से कठोर कार्यवाही की तैयारी। किन्तु क्या यह सख्ती पर्याप्त है? जब तक समाज की सोच, पारिवारिक मानसिकता और चिकित्सा संस्थानों की नैतिकता में बदलाव नहीं आया, तब तक कोई योजना सफल नहीं होगी। बेटी को बचाने के लिए उसका जन्म गर्व का विषय बनाया होगा, अपराधबोध का नहीं।

त्रियंका सौरभ

जिंश धरती पर दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी जैसी नारियों की पूजा होती है, उसी धरती पर बेटियाँ आज भी माँ की कोख में दम तोड़ रही हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने हरियाणा की उस कड़वी सच्चाई को फिर से उजागर किया है, जिसमें तीन महीनों में एक हजार एक सौ चौवन गर्भपात दर्ज किए गए—जिनमें अधिकांश के पीछे पुत्री होने की संभावना प्रमुख कारण मानी जा रही है। यह आँकड़ा केवल एक संख्या नहीं, बल्कि हमारे समाज के भीतर लुप्त पुरुषप्रधान सोच, भेदभावपूर्ण मानसिकता और शासन-प्रशासन की विफलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को जमीनी स्तर तक पहुँचाने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को रसहेलीर की भूमिका में तैनात किया था। उनका कर्तव्य था कि वे गर्भवती महिलाओं की नियमित निगरानी करें, उनके स्वास्थ्य की देखरेख करें, और सही सलाह देकर उन्हें सहयोग प्रदान करें। किन्तु छप्पन

आशा कार्यकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना यह दर्शाता है कि इस निगरानी प्रणाली में गंभीर लापरवाही हुई है।

क्या ये कार्यकर्ता जानबूझकर लापरवाह थीं, या उनके पास संसाधनों की कमी थी? क्या वे सामाजिक दबाव, भय अथवा अव्यवस्था के कारण चुप रही? यह गहन जाँच का विषय है, क्योंकि केवल दंड देना समाधान नहीं, अपितु इस समस्या का संवेदनशील समाधान आवश्यक है।

हमारे देश में गर्भधारण से पूर्व एवं पूर्व प्रसव भ्रूण परीक्षण निषेध अधिनियम के अंतर्गत भ्रूण की लिंग जाँच तथा लिंग के आधार पर गर्भपात एक दंडनीय अपराध है। परंतु यह अधिनियम केवल कागज़ों तक सीमित रह गया है।

हरियाणा में कई स्थानों पर अवैध भ्रूण परीक्षण केंद्र, निजी चिकित्सा केंद्रों की मिलीभगत, तथा पैसों के लालच में लिंग जाँच और भ्रूण हत्या आज भी बेरोक-टोक जारी है। इन केंद्रों पर रोक लगाने हेतु बनाए गए विशेष दस्तों तथा निरीक्षण टीमों की सक्रियता केवल औपचारिकता बनकर रह गई है। स्वास्थ्य विभाग ने गर्भपात करवाने वाली महिलाओं की रश्च परीक्षण प्रणालीर को अधिक कठोर करने की घोषणा की है तथा विशेष रूप से उन महिलाओं की निगरानी बढ़ाने की बात कही है, जिनकी पहले से एक या अधिक पुत्रियाँ हैं। उद्देश्य सकारात्मक है, परंतु यदि इसे संवेदनशीलता और सम्मान के साथ लागू नहीं किया गया, तो यह कदम स्वयं महिलाओं के स्वास्थ्य अधिकारों और निजता पर प्रहार बन सकता है।

क्या यह निगरानी केवल भय का वातावरण उत्पन्न करने का माध्यम बन रही है? या फिर वे महिलारें, जो सामाजिक दबाव में आकर गर्भपात करवाने को विवश हुईं, अब एक बार फिर पीड़िता की बजाय अपराधीनी बना दी जाएँगी?



“बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” जैसे नारे केवल दीवारों पर लिखे जा रहे हैं अथवा नेताओं के भाषणों में दोहराया जा रहे हैं। जमीनी सच्चाई यह है कि ग्रामीण ही नहीं, शहरी समाज भी पुत्री को आज भी एक बोझ के रूप में देखता है। दहेज, सुरक्षा, सम्मान और वंश परंपरा जैसे कुप्रथाओं के कारण बेटियाँ आज भी अवांछित हैं। क्या केवल नारेबाजी पर्याप्त है या इस दिशा में मूलभूत सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता है? कोख में हो रही बेटियों की हत्या केवल माँ या परिवार की जिम्मेदारी नहीं है। यह एक सामूहिक अपराध है, जिसमें समाज, चिकित्सा संस्थान, प्रशासनिक व्यवस्था और हम सब शामिल हैं। जब कोई महिला दूसरी या तीसरी बार पुत्री को जन्म देने वाली पीड़िता हो, तो समाज उसकी मानसिकता, पात्रता और

पारिवारिक स्थिति पर कटाक्ष करता है। यही मानसिकता उस माँ को मजबूर करती है कि वह अगली बार कन्या का जन्म न होने दे—भले ही इसकी कीमत किसी जीवन के रूप में क्यों न हो। केवल नोटिस, निलंबन और निगरानी से यह विकराल समस्या नहीं सुलझेगी। इसके लिए आवश्यक है—स्थानीय स्तर पर महिला सशक्तिकरण अभियान, पुत्रियों के जन्म पर प्रोत्साहन योजनाओं का क्रियान्वयन, जनजागृति के लिए पत्र-पत्रिकाओं, चलचित्रों और सामाजिक माध्यमों का उपयोग, पारिवारिक मुखियों को संवेदनशील बनाना, लिंग परीक्षण करने वाले चिकित्सकों पर कठोर दंडात्मक कार्यवाही, अवैध भ्रूण परीक्षण केंद्रों को बंद करना, तथा शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में लिंग समानता की शिक्षा को सशक्ति करना।

आशा कार्यकर्ताओं को दंडित करना एक सतही समाधान है। असल प्रश्न यह है—क्या उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण, संसाधन, समय पर मानदेय तथा चिकित्सक पर सुरक्षा प्राप्त थी? जिन चिकित्सकों ने अवैध लिंग जाँच की, जिन केंद्रों ने भ्रूण हत्या करवाई, तथा जिन परिवारों ने कन्या को अस्वीकार किया—क्या उन सबको भी समान रूप से उत्तरदायी ठहराया गया?

यदि माताओं को निर्णय लेने का अधिकार देना है, तो उन्हें शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सम्मान देना होगा। बेटी तभी बचेगी जब उसकी जननी स्वयं को सक्षम और सशक्त मानेगी। आज आवश्यकता है कि हम हर माँ को यह कहें—“तु दुर्बल नहीं है, तूरे गर्भ में एक शक्ति बतल रही है।” पश्च परीक्षण प्रणाली और पुलिसिया दबाव केवल भय का वातावरण उत्पन्न करेंगे। इनकी अपेक्षा यदि हम संवाद को प्राथमिकता दें, महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी दें, तथा समाज में बेटियों के लिए सम्मान का भाव विकसित करें—तो परिणाम अधिक स्थायी और सकारात्मक होंगे।

एक हजार एक सौ चौवन गर्भपात केवल आँकड़े नहीं हैं। ये उस सामूहिक हत्या की प्रकटता हैं, जो केवल इसीलिए लिखी गई क्योंकि भ्रूण स्त्रीलिंग का था। यह केवल हरियाणा नहीं, सम्पूर्ण भारत की नैतिक हार है। जब तक हम लिंग के आधार पर भेदभाव करते रहेंगे, तब तक कोई नीति, कोई योजना, कोई निगरानी प्रणाली प्रभावी सिद्ध नहीं होगी। यदि हमें सच में बेटी को बचाना है, तो सबसे पहले सोच को बदलना होगा। कानून से पहले करुणा और योजना से पहले दृष्टिकोण को बदलना होगा। अन्याया हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें कोखे सूनी रह जाएँगी, और सभ्यता अधूरी रह जाएगी।

सड़कें किसकी? जनता या राजनीति की – हाई कोर्ट ने रखी नई कसौटी

[मनमज्जी नहीं जिम्मेदारी: कोर्ट ने राजनैतिक दलों को याद दिलाई मर्यादा]

सड़कों पर उमड़ती भीड़, नारों की गूंज, और बैनरों की लहर—विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र की जीवंत धड़कन हैं, जो अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने और बदलाव की मांग का सशक्त माध्यम हैं। किंतु जब ये प्रदर्शन आम जनता के लिए असुविधा का कारण बनते हैं—सड़कें जाम होती हैं, दुकानें बंद होती हैं, और लोग रोजमर्रा के कार्यों से वंचित हो जाते हैं—तब इनका स्वरूप सवालों के घेरे में आ जाता है। मद्रास हाई कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया और राजनैतिक दलों को स्पष्ट संदेश दिया—विरोध प्रदर्शन न तो मनोरंजन का साधन हैं, न ही किसी की मनमज्जी का उपकरण। यह फैसला न केवल कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह लोकतांत्रिक अधिकारों और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन की आवश्यकता को रेखांकित कर समाज को एक नई दिशा प्रदान करता है।

मद्रास हाई कोर्ट के न्यायाधीश बी. पुगालेन्धी ने एक महत्वपूर्ण फैसले में तमिलनाडु के शिवगंगाई जिले में विरोध प्रदर्शन की अनुमति मांगने वाली रिट याचिका खारिज कर दी। यह याचिका एक राजनैतिक दल के राज्य संयोजक जे. ईश्वरन ने दायर की थी, जो एक व्यक्ति, अजीत कुमार की मौत के विरोध में प्रदर्शन करना चाहते थे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यही राजनैतिक दल हाल ही में उसी स्थान पर पांच दिन तक प्रदर्शन कर चुका था और अब उसी मुद्दे पर दोबारा प्रदर्शन की मांग कर रहा था। इसे मनमज्जी करार देते हुए कोर्ट ने कहा कि विरोध प्रदर्शन का अधिकार असंमित नहीं है। यह फैसला लोकतांत्रिक अधिकारों और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जो न केवल इस मामले तक सीमित है, बल्कि व्यापक सामाजिक संदर्भ में भी प्रासंगिक है।

मद्रास हाई कोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के कई महत्वपूर्ण निर्णयों का उल्लेख करते हुए रेखांकित किया कि विरोध प्रदर्शन का अधिकार मौलिक होते हुए भी तर्कसंगत नियंत्रणों के अधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के रमजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले में स्पष्ट किया था कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(b) के तहत प्रदर्शन का अधिकार संरक्षित है, किंतु यह बिना शर्त नहीं है। प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था और आम जनता की सुविधा का ध्यान रखना अनिवार्य है। इस सिद्धांत को दोहराते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन का अधिकार जनता के स्वतंत्र आवागमन और शांतिपूर्ण जीवन के अधिकार को बाधित नहीं कर सकता। कोर्ट ने आगे जोड़ा कि सार्वजनिक स्थान जनता के उपयोग के लिए हैं और इनका बार-बार प्रदर्शनों के लिए दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। यह फैसला लोकतांत्रिक अधिकारों और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन को और सशक्त करता है।

यह फैसला भारत में विरोध प्रदर्शनों के बढ़ते चलन के संदर्भ में विशेष रूप से प्रासंगिक है। एक अध्ययन के अनुसार, 2016 से 2020 के बीच भारत में करीब 25,000 बड़े और छोटे विरोध प्रदर्शन हुए, जिनमें से कई ने सार्वजनिक जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) के 2022 के आंकड़े बताते हैं कि ट्रैफिक अवरोध और सार्वजनिक व्यवस्था भंग होने की शिकायतें 30% तक बढ़ीं, जिनमें से अधिकांश अनियोजित प्रदर्शनों से जुड़ी थीं। ये आंकड़े रेखांकित करते हैं कि प्रदर्शन, हालांकि लोकतंत्र का अभिन्न अंग हैं, कई बार आम जनता के लिए असुविधा का कारण बनते हैं। यह फैसला लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति और सार्वजनिक सुविधा के बीच संतुलन की आवश्यकता को और मजबूती से स्थापित करता है। मद्रास हाई कोर्ट का यह फैसला राजनैतिक दलों को उनकी सामाजिक जिम्मेदारियों की सशक्त याद दिलाता है, जो लोकतांत्रिक अधिकारों और



सार्वजनिक सुविधा के बीच संतुलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रदर्शन का अधिकार जनता को असुविधा पहुंचाने का लाइसेंस नहीं है। उदाहरण के तौर पर, सड़कों पर लंबे समय तक जाम लगने से न केवल दैनिक यात्रियों को परेशानी होती है, बल्कि एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाएं भी बाधित होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में ट्रैफिक जाम के कारण आपातकालीन सेवाओं में देरी से हर साल लगभग 10% मरीजों की जान जोखिम में पड़ती है। यह गंभीर स्थिति प्रदर्शनों के आयोजन में जिम्मेदारी की आवश्यकता को और रेखांकित करती है। कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि बार-बार एक ही स्थान पर प्रदर्शन न केवल जनता के लिए असुविधा का कारण बनता है, बल्कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया

की गरिमा को भी कमजोर करता है। प्रदर्शनों का उद्देश्य जागरूकता फैलाना और नीतिगत बदलाव की मांग करना होना चाहिए, न कि जनता को परेशान करना या राजनैतिक शक्ति का प्रदर्शन करना। इस संदर्भ में, कोर्ट ने सुझाव दिया कि राजनैतिक दलों को शांतिपूर्ण सभाओं या डिजिटल मंचों जैसे वैकल्पिक तरीकों का उपयोग करना चाहिए, ताकि जनता की दिनचर्या पर कम से कम प्रभाव पड़े। यह फैसला न केवल जिम्मेदार प्रदर्शनों को प्रोत्साहित करता है, बल्कि लोकतंत्र के मूल्यों को भी सुदृढ़ करता है। मद्रास हाई कोर्ट का यह फैसला न केवल अपने स्थानीय संदर्भ तक सीमित है, बल्कि यह देशव्यापी स्तर पर लोकतांत्रिक अधिकारों और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन की आवश्यकता को रेखांकित करता है। हाल ही में, कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी एक समान मामले में

फैसला सुनाते हुए एक राजनैतिक दल को रैली की अनुमति दी, लेकिन यह शर्त जोड़ी कि रैली सड़क के केवल एक-तिहाई हिस्से पर होगी, ताकि शेष दो-तिहाई हिस्सा वाहनों के आवागमन के लिए खुला रहे। यह शर्त दर्शाती है कि न्यायपालिका अब विरोध प्रदर्शनों के आयोजन में संतुलन को गंभीरता से ले रही है। यह फैसला एक गहन प्रश्न की ओर इशारा करता है—लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन का महत्व तो निर्विवाद है, लेकिन क्या इसे अनियंत्रित छोड़ना उचित है? भारत जैसे घनी आबादी और सीमित संसाधनों वाले देश में सार्वजनिक स्थानों का उपयोग एक जटिल चुनौती है। एक ओर, विरोध प्रदर्शन सामाजिक और राजनैतिक बदलाव का महत्वपूर्ण साधन है, तो दूसरी ओर, इनके कारण होने वाली असुविधाएं आम जनता के दैनिक जीवन को बाधित करती हैं। इस संतुलन को बनाए

रखने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देशों और जिम्मेदार आयोजन की आवश्यकता है। मद्रास हाई कोर्ट का यह फैसला राजनैतिक दलों के लिए एक कड़ी नसीहत है और समाज के हर वर्ग को यह सोचने पर विवश करता है कि हम अपने अधिकारों का उपयोग कैसे करते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र केवल अधिकारों का दावा नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों का निर्वहन भी है। जब तक हम अपने अधिकारों का उपयोग दूसरों के अधिकारों का सम्मान करते हुए नहीं करते, तब तक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना अधूरी रहेगी। यह फैसला न केवल कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि एक शक्तिशाली सामाजिक संदेश भी देता है—विरोध प्रदर्शन न तो मनोरंजन है, न ही किसी की मनमज्जी का साधन। वे एक गंभीर जिम्मेदारी हैं, जिसे संवेदनशीलता और सावधानी के साथ निभाना होगा।

प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी (मप)

संतों के सान्निध्य में हुआ पूजन जयकारों के साथ के साथ नंदीशाला उद्घाटन हुआ

जगदीश सीरवी

मेडचल एल्मपेट श्री दक्षिणेश्वर केदारनाथ मंदिर व ओर से नव निर्मित शिवलिंग एवं नंदीशाला महोत्सव हर्षोल्लास से संपन्न हुआ। यजमान गोपाल अग्रवाल के सान्निध्य में कई कार्यक्रम हुए। शुभ मुहूर्त में पंडित के. आचार्य जी के नेतृत्व में पंडितों ने विभिन्न मंत्रोच्चारण से स्थापित देवी-देवताओं का पूजन किया। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चारण एवं विधान पूर्वक देवी-देवताओं की शिवलिंग को स्थापित कर प्रतिष्ठा की गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने जयकारों से पूरे परिसर को गुंजायमान कर दिया। मंदिर में शिवलिंग विनायक सहित अन्य देवी-देवताओं की प्रतिमाओं को स्थापित किया गया। समारोह में पूर्व विधायक हनुमंत राव द्वारा नंदीशाला का उद्घाटन के बाद पट्ट खलते ही के प्रथम दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ रही। मंदिर में मूर्ति स्थापना, कलश सहित कई सदस्यों ने अन्य चढ़ावों का लाभ लिया। इस कार्यक्रम उपस्थित राजेश अग्रवाल, धनजी भाई पटेल, रामचंद्र सुथार, चैनाराम सीरवी, राजेश परिहार, व समस्त बाबा रामदेव गौभक्त, समस्त 108 कलश से शिव रुद्र भेषक को पूर्ण किया और आचार्य जी के अनुसार लगभग 151 कलशों से अभिषेक हुआ। अन्य मौजूद रहे।



मारवाड़ी युवा मंच पर्ल महिला शाखा सिकंदराबाद द्वारा महाकाली बोनालू जातरा में अन्नप्रसाद वितरण का सफल आयोजन!



जगदीश सीरवी

मारवाड़ी युवा मंच पर्ल महिला शाखा सिकंदराबाद ने महाकाली बोनालू जातरा के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए अन्नप्रसाद वितरण का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। शाखा मंत्री सुमन घोड़ेला द्वारा जारी प्रेस विज्ञापित के अनुसार, यह सेवा कार्य शाखा की अध्यक्ष श्रीमती शीतल जैन के नेतृत्व में एवं शाखा की सक्रिय सदस्या श्रीमती मोना वर्मा के परिवार

की ओर से आयोजित किया गया। राहगीर श्रद्धालुओं के लिए उपमा एवं शीतल जल की व्यवस्था की गई, जिसका लाभ लगभग 700 श्रद्धालुओं ने उठाया।

लाभार्थी परिवार को शाखा की ओर से गलपट्टा पहनाकर सम्मानित किया गया!

इस सेवा कार्य को सफल बनाने में शाखा की निम्न सदस्यों का विशेष सहयोग रहा: पूनम बोहरा, हेमलता

घोड़ेला, सुनीता डूंगरवाल, वंदना दुगड़, बबिता शर्मा, सरोज जैन, ज्योति मखाना, मधु शर्मा, चंदा मोदी, सुरेखा गांधी, योगिता अलीजार्, उर्मिला ढल्ला, भारती वर्मा, देवी सोनी, सिमरन वगैरे आरती वर्मा!!!

शाखा की युवा विकास सदस्य मंजू घोड़ेला ने इस पुण्य कार्य में सहयोग देने वाले सभी सदस्यों एवं परिवार को हृदय से धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया।

फिर एक बालासोर जैसा दुर्घटना राउरकेला में होने का आशंका

मनोरंजन सासमल, बरिष्ठ पत्रकार

राउरकेला/भूबनेश्वर: सुंदरगढ़ जिला राउरकेला का वेदवास स्थित जेपी अस्पताल के प्रबंध निदेशक चंदन बंसल का मामला सामने आया है, जिन्होंने कथित तौर पर अस्पताल में काम करने वाली एक विवाहित महिला कर्मचारी को कई बार अकेले पाया और उससे शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा। उन्होंने ऐसा करने पर उसे पदोन्नति और वेतन वृद्धि का वादा किया और ऐसा न करने पर उसकी नौकरी छीन लेने की धमकी दी। महिला ने मारपीट, फेंकने और उसके शरीर को अलग-अलग आकार में मोड़ने की कोशिश करने की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद उसे राउरकेला के उदितनगर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस ने उसके खिलाफ केवल मारपीट, मौखिक दुर्व्यवहार, अपमान करने और धक्का देने के तीन मामले दर्ज किए हैं। पुलिस ने मारपीट के दौरान बार-बार उसके साथ यौन संबंध बनाने की कोशिश करने के आरोपों पर चुप्पी साधे रखी है। वह मुझे पदोन्नति और वेतन वृद्धि मिलेगी जैसी बातें कहती रही है और उसने कोई मामला दर्ज नहीं किया है। घटना को दस दिन बीत चुके हैं, लेकिन महिला ने बार-बार पुलिस स्टेशन को फोन करके यह जानने की कोशिश की कि उसके मामले में क्या हुआ, लेकिन पुलिस उसे आज तक कोई



जानकारी नहीं दे पाई है। घटना से पता चला कि वेदवास में रहने वाली एक महिला कई सालों से इस अस्पताल में काम कर रही थी। डॉ. बंसल ने एक महिला को कई बार फोन किया था और उसे इस तरह के शारीरिक संपर्क से बचने के लिए कहा था जब महिला ने कहा कि वह शादीशुदा है और उसका अपना परिवार है, तो उसे इस तरह का व्यवहार पसंद नहीं है, तो उसने उसे पीटा और नीचे फेंक दिया और उदितनगर स्थित जेपी अस्पताल के दूसरे स्थान पर भेज

दिया। वहाँ भी जब उसने उसे अकेला पाया, तो महिला ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। फिर भी, उदितनगर पुलिस ने उसको दामाद के साथ वैसा ही व्यवहार कर छोड़ दिया। लेकिन सामान्य शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए शारीरिक संपर्क बनाने की कोशिश के मामले में कोई धारा दर्ज नहीं की गई। आरोपी डॉ. बंसल खुलेआम घूम रहा है, जबकि पीड़ित परिवार अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है।

इस बीच, महिला ने सोशल मीडिया पर पश्चिमी डीआईएजी के साथ पुलिस के व्यवहार के बारे में बताया है। आज, पुलिस स्टेशन के सामने, महिला ने कहा कि अगर उसे इस मामले में कोई उचित न्याय नहीं मिला, तो वह बालासोर में न्याय के लिए दौड़ने वाली छात्रा जैसा ही कदम उठाया, मेरे को न्याय नहीं मिला तो, मे भी इसी तरा कदम उठाने

के लिए मजबूर होगी। उसका परिवार छोटा है, दो बच्चे, एक शारीरिक रूप से बीमार पति और सास। इस घटना को 10 दिन बीत चुके हैं। राउरकेला में महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करने वाले संगठन, विपक्षी विधायक शारदा नायक, कांग्रेस पार्टी और भाजपा, सब चुप हैं। यहाँ तक कि शहर के कुछ अग्रणी संगठन चुपे हैं। यही हमारे राज्य और राउरकेला में महिलाओं का सम्मान है, जिसके पास पैसा है, वो गरीब महिलाओं के साथ इसी तरह खिलवाड़ करेगा, उन्हें फेंक देगा और अगर वो महिला मुँह खोलेगी, तो पुलिस व्यवस्था उसकी ऐसी ही मदद करेगी।

बालासोर में छात्रा द्वारा आत्महत्या के प्रयास की घटना को नहीं होना चाहिए। राउरकेला पीड़ित ने कहा मैं बालेसोरे जैसा करूंगा। महिला उल्पीडन के लिए ऑडिशा की विश्व में निर्दिष्ट है। सरकार तुरंत एक्शन लेना चाहिए।

सौम्याश्री मौत मामला: बीजद का प्रेस वार्ता में बड़ा ऐलान, आज से ओडिशा में होगा व्यापक छात्र आंदोलन

मनोरंजन सासमल, बरिष्ठ पत्रकार

भुवनेश्वर: बालासोर फकीर मोहन ऑटोनाॅमस कॉलेज की डॉटोप्रेटेड बी.एड द्वितीय वर्ष की छात्रा सौम्याश्री त्रिकया जिंदगी की जंग हार गई हैं। सौम्याश्री की मौत को लेकर आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है। इस घटना को लेकर विपक्ष ने राज्य सरकार पर हमला बोला है और सवाल उठाए हैं। बीजद ने बड़ी मांग की है। प्रेस वार्ता में बीजद ने कहा, यह कोई छोटी बात नहीं है। यह पूरी नारी जाति का अपमान है। पूरे छात्र समुदाय का अपमान है। इसे कभी माफ नहीं किया जाएगा। दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। फिर सरकार किस सजा देगी, मृतका सौम्याश्री ने खुद ट्वीट कर घटना की जानकारी दी। लेकिन सरकार की अक्षमता के कारण न्याय नहीं हो सका। बीजद ने पूछा है कि किस सजा मिलेगी। सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार है। हम मांग करते हैं कि सरकार मृतका के परिवार को 2 करोड़



रुपये का मुआवजा दे। इसके साथ ही, बीजद ने आगे कहा कि शव को रातोंरात पुरी ले जाने का निर्णय लिया गया। मृतक के पिता ने शव को गाँव ले जाने का अनुरोध किया, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया। अन्धता, मृतक के शव का अंतिम

संस्कार करने की तैयारी थी। ऐसे में आज से पूरे ओडिशा में एक बड़ा छात्र आंदोलन होगा, युवा छात्र बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरेंगे। बीजद ने कहा कि जब तक मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।